पूर्ण न्यायपीठ

D. K. Mahajan, Prem Charvd Pandit और S. S. Sandhawalia, न्यायमूर्ति के समक्ष

एम एस अमर सिंह-मोदी लाल,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

सिविल रिट नं. 1970 का 2004।

25 मार्च, 1971

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम (1957 का एलएक्सवीआईआई)- धारा 3 (ई) 14 और 15- भारत का संविधान (1950)- सातवीं अनुसूची, सूची 1, प्रविष्टि 54- धारा 3 (ई)- क्या यह अधिकार से बाहर है प्रविष्टि 54-'खंड के तहत अधिसूचना द्वारा लघु खनिज के रूप में' ईंट मिट्टी 'की घोषणा- चाहे असंवैधानिक हो और सत्ता के अत्यधिक प्रत्यायोजन से ग्रस्त हो- धारा 14 और 15- राज्य सरकार- चाहे "लघु खनिजों" पर रॉयल्टी लगाने से वर्जित हो- लघु खनिज रियायत नियम (1949)- नियम 20,28,37 और 44- राज्य सरकार से प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं रखने वाले व्यक्ति- क्या रॉयल्टी ली जा सकती है- भारत का संविधान (1950)- अनुच्छेद 226- रिट- क्या प्रथम दृष्टया जारी किया जा सकता है, सिविल कोर्ट के निर्णय के अधीन।

आयोजित, (बहुमत के अनुसार संधवालिया और पंडित, जेजे, महाजन, जे, कॉन्ट्रा।) (ख) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) से असंवैधानिकता का कोई दाग नहीं जुड़ा है और यह संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 54 द्वारा प्राधिकृत क्षेत्र से आगे नहीं फैला है.

माना जाता है कि "खनिज" शब्द परिभाषा की अवहेलना करता है और विस्तार या सीमा के लिए अतिसंवेदनशील है। हालाँकि, न्यायिक मिसाल ने हमेशा इस शब्द के व्यापक अर्थ को स्वीकार किया है। इसलिए, संसद का अधिकार था और वास्तव में उसने इस शब्द का उपयोग अपने व्यापक अर्थ में किया है। यह पूर्ववर्ती और समान कानूनों के सरसरी संदर्भ पर स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 3 (ई) को अधिनियमित करने में, संसद इस विषय पर पहले के विधान को उस स्वीकृत अर्थ के साथ जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी, जिससे "लघु खनिज" में पहले से ही उप- धारा में उल्लिखित पदार्थ शामिल थे। इसके अलावा, अधिनियम के अधिनियमन के बाद, धारा 29 के आधार पर, मौजूदा नियमों यानी लघु खनिज रियायत नियम, 1964 को जारी रखा गया और इन नियमों के अनुसार, ईंट- पृथ्वी विशेष रूप से लघु खनिज के दायरे में थी और जब ईंट- पृथ्वी को लघु खनिज घोषित करने की अधिसूचना जारी की गई थी, तब भी यह जारी थी अधिसूचना ने नियमों के नियम 3 (ii) के आधार पर केवल उन चीजों को अनुकूलित और जारी रखा जो पहले से ही "लघु खनिजों" के दायरे में थे। अधिनियम की तैंतीस धाराओं और अनुसूचियों में प्रदत्त प्रस्तावना और विस्तृत प्रावधानों के संदर्भ में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि विधान में सिद्धांत, नीति, परिधि और कानून का दायरा निर्धारित किया गया है। अधिनियम की धारा 3 (ई) द्वारा परिकल्पित केवल एक पदार्थ को "लघु खनिज" के रूप में घोषित करने में सिद्धांत या ऐसी उच्च विधायी नीति शामिल नहीं है कि इसे संसद द्वारा केंद्र सरकार को सौंपा नहीं जा सकता है। संसद द्वारा अधिनियम के तहत लघु खनिजों को घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को अधिकार देना सत्ता के अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण बुरा नहीं है। इसलिए अधिनियम की धारा 3 (ई) और उसके तहत ईंट- पृथ्वी को "लघु खनिज" घोषित करने वाली अधिसूचना अत्यधिक प्रत्यायोजन के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है।

माना जाता है कि अधिनियम की धारा 14 और 15 का अवलोकन अधिनियम की उस योजना को स्पष्ट करता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि "खनिजों" के संबंध में, पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे। जहां तक "लघु खनिजों" का

संबंध है, उनके संबंध में नियम बनाने के लिए व्यापक शक्ति राज्य सरकार को सौंपी गई है और इसमें स्पष्ट रूप से संभावित लाइसेंस और शोषण के लिए दिए गए खनन पट्टों के संबंध में रॉयल्टी की वसूली शामिल है।

माना गया कि लघु खनिज रियायत नियम, 1949 के नियम 20 के तहत रॉयल्टी केवल खनन पट्टे के संबंध में लगाई जा सकती है। नियम 28,37 और 44 नीलामी या निविदा द्वारा अनुदान या अनुबंध को विनियमित करते हैं और खनन पट्टे और अल्पकालिक परमिट के अनुदान की शर्तों का प्रावधान करते हैं। इन प्रावधानों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जब तक राज्य सरकार और संबंधित व्यक्तियों के बीच कोई स्थायी अनुबंध नहीं होता है और जब तक उनके पास पूर्वेक्षण लाइसेंस या खनन पट्टा नहीं होता है, तब तक उनसे राज्य सरकार द्वारा रॉयल्टी नहीं ली जा सकती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का प्रयोग आम तौर पर वहां किया जाता है जहां बुनियादी तथ्य विवाद में नहीं होते हैं। जहां कोई ऐसा मामला जिसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न की जटिल जांच शामिल है, जिसे केवल साक्ष्य प्रस्तुत करके और उसके निकट अवलोकन द्वारा हल किया जा सकता है, ऐसे मामले में रिट कोर्ट अपने हाथों में रोक सकता है और पक्षों को उनके सामान्य कानूनी उपायों के लिए छोड़ सकता है। जहाँ तथ्यों पर विवाद उत्पन्न होता है, वहाँ इसे जारी किए गए रिट से पहले निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए पहले तथ्यों का निर्धारण किए बिना और सिविल न्यायालयों के गुण-दोष पर बाद के निर्णय के अधीन एक रिट प्रथम दृष्टया जारी नहीं की जा सकती है।

आयोजित, (महाजन के अनुसार, जे। कॉन्ट्रा.) कि ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं जिसमें मिट्टी का अनुपात अधिक होता है। मिट्टी की संरचना स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। यह खनिजों का एक समूह है लेकिन अपने आप में एक "खनिज" नहीं है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन याचिका में यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 1969 को जारी किए गए आक्षेपित आदेश को निरस्त करते हुए सर्टिओरारी की प्रकृति का कोई रिट या कोई अन्य उपयुक्त रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए-अनुबंध 'क' द्वारा और यह माननीय न्यायालय धारा 18 को संविधान और नियम 20,21,37 और 53 के अधिकार से बाहर घोषित करता है।

निर्णय

संधावलिया, जे.---- क्या "ईंट-मिट्टी" को केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या के आधार पर वैध रूप से एक लघु खनिज घोषित किया गया है। खान और खनिज विनियमन और विकास अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के तहत जारी जी. एस. आर. 436, दिनांक 1 जून, 1958, महत्वपूर्ण और थोड़ा जटिल प्रश्न है जो मुख्य रूप से इन दो संबंधित सिविल रिट याचिकाओं में निर्धारण की मांग करता है। 1840 और 2004 का 1970। इन याचिकाओं में कानून और तथ्य के समान प्रश्न उत्पन्न होते हैं और पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत होते हैं कि यह निर्णय उन दोनों को नियंत्रित करेगा।

(2) सांख्यिकी की व्यापक रूपरेखा विवाद में नहीं है। सिविल रिट सं. में तथ्यों का संदर्भ देने के लिए पर्याप्त होगा। 1970 का 2004 केवल मुख्य रूप से उठाए गए कानूनी विवादों की सराहना करने के लिए है। मेसर्स अमर सिंह मोदी लाल की याचिकाकर्ता-फर्म ईंटों के निर्माण का व्यवसाय करती है और पंजाब कंट्रोल ऑफ ब्रिक सप्लाई ऑर्डर 1956 के तहत लाइसेंसधारी है। इसने उस भूमि पर एक ईंट-भट्ठा स्थापित किया जिसे उसने प्रति वर्ष 15,000 ईंटों की दर से ईंटों के उत्पादन के लिए गांव छापरा तहसील और जिला अंबाला के ग्राम फलक घास से पट्टे पर लिया था। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता फर्म न तो खनन पट्टेदार है और न ही उसने इस संबंध में सरकार के साथ कोई समझौता किया है और न ही उसके पास पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के तहत कोई अल्पकालिक

परमिट है। (hereinafter referred to as the Rules). हालाँकि, जिला उद्योग अधिकारी अंबाला ने अनुलग्नक 'ए' के माध्यम से एक मांग नोटिस जारी किया जिसमें रु। 4, 152.86 गिरफ्तारी के वारंट जारी करने और भुगतान के चूक में कुर्की के दर्द पर याचिकाकर्ता फर्म से रॉयल्टी के रूप में पैसे। इस मांग सूचना को रिट याचिका के माध्यम से आक्षेपित किया गया है और इसे शून्य के रूप में चुनौती दी गई है और खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता और अधिसूचनाओं और इसके तहत बनाए गए नियमों की वैधता पर विभिन्न आधारों पर हमला किया गया है जिन्हें बाद में विस्तार से अधिसूचित किया जाएगा।

(3) प्रत्यर्थी हरियाणा राज्य की ओर से दाखिल किए गए विवरणी में, पहले तीन प्रारंभिक आपत्तियां ली गई हैं। यह कहा गया है कि याचिका में तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं और इस प्रकार यह असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा यह कि विवादित भूमि में ईंट की मिट्टी और मिट्टी निकालने के अधिकार सरकार के हैं और इसलिए याचिकाकर्ता को रिट याचिका लाने का कोई अधिकार या अधिकार नहीं था। यह भी कहा गया है कि यह एक तथ्य के रूप में पाया गया है कि याचिकाकर्ता-फर्म ईंटों की बिक्री के लिए उपभोक्ताओं को नकद ज्ञापन जारी करके रॉयल्टी वसूल रही है और उसने रॉयल्टी की राशि अपने पास रखी है जो वह करने के लिए अधिकृत नहीं थी क्योंकि रॉयल्टी सरकार की है।

(4) गुणागुण के आधार पर जवाब में लिया गया रुख यह है कि याचिकाकर्ता 2 मई, 1964 से अनधिकृत रूप से विवादित भूमि से ईंट मिट्टी निकाल रहा है, जहां लघु खनिज अधिकार सरकार में निहित हैं, बिना किसी अल्पकालिक परमिट या पट्टा प्राप्त किए, जैसा कि नियमों द्वारा आवश्यक है और यह अधिनियम नियमों के नियम 54 के तहत गैरकानूनी और अवैध है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता-फर्म से देय रॉयल्टी के लिए मांग नोटिस उसे जारी किया गया था, जिसमें उस पर यह प्रभाव डाला गया था कि एक विशिष्ट तिथि तक भुगतान न करने की स्थिति में, नियमों के तहत भूमि राजस्व के बकाया के रूप में उसी की वसूली की जाएगी और इस मांग नोटिस के बावजूद याचिकाकर्ता-फर्म उत्तरदाता के कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। 2 जब ईंट की मिट्टी के लिए रॉयल्टी का आकलन किया जाना था। मांग सूचना की वैधता का आक्षेप करने वाले पैरा 4 की सामग्री को अस्वीकार कर दिया गया है और यह स्पष्ट रूप से अनुरोध किया गया है कि ईंट की मिट्टी को धारा 3 (ई) के तहत उन्हें प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा वैध रूप से एक लघु खनिज घोषित किया गया है और ऐसे लघु खनिजों के निहित होने के संबंध में, यह कहा गया है कि वजाब-उल-आर्ज़ (अनुलग्नक आर. II के रूप में संलग्न प्रति) में प्रासंगिक प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि उक्त विलेज वेस्ट में सभी खनन अधिकार सरकार के हैं। यह बार-बार दोहराया गया है कि जिन सभी वैधानिक प्रावधानों को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया गया है, वे वास्तव में वैध और कानूनी हैं।

(5) इन रिट याचिकाओं को एक खंड पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था और पहले मेरे विद्वान भाई पंडित जे. और मेरे सामने आया था। हालांकि शामिल बिंदु के महत्व और दूरगामी परिणामों और इसी तरह के बिंदु पर बड़ी संख्या में लंबित रिट याचिकाओं पर इसके प्रभाव के कारण यह उचित समझा गया कि मामले का निर्णय एक बड़ी पीठ द्वारा किया जाए। इस तरह से ये रिट याचिकाएं हमारे सामने हैं।

(6) मैं पक्षकारों के बीच के मुद्दे के मुख्य बिंदु पर विचार करता हूं, जिसे मैं एक विवाद के आधार को स्पष्ट करने के लिए सबसे अच्छा मानता हूं, जो हालांकि शुरुआत में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क के अग्रभाग में था, बाद में इसे पूरी तरह से पृष्ठभूमि और महत्वहीन कर दिया गया था। राजपत्र में प्रकाशित आक्षेपित अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः -

"जी. एस. आर. 436 - खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 3 के खंड (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित खनिजों को लघु खनिज घोषित करती है, अर्थात्:- केवल बाल मिल प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले बोल्डर, शिंगल, चाल्सेडनी कंकड़, चूने को जलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले लाइमशेल, कंकड़ और चूना पत्थर, मुर्रम ईंट-पृथ्वी, फुलर की मिट्टी, बेंटोनाइट सड़क धातु, रेह-माटी, स्लेट और शेल जब निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है।

"मुर्रम" और "ईंट-पृथ्वी" शब्दों के बीच अल्पविराम की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए, एक तर्क उठाने की कोशिश की गई कि अधिसूचना में जिसे एक छोटा खनिज घोषित किया गया है, वह "मुर्रम-पृथ्वी" नामक विशिष्ट पदार्थ है, जब उसे ईंटों में परिवर्तित किया जाना था। कुछ दृढ़ता के साथ यह तर्क दिया गया था कि सामान्य ईंट-पृथ्वी को अधिसूचना द्वारा एक मामूली खनिज घोषित नहीं किया गया था और इसलिए यह इसके दायरे से बाहर था। यह प्रस्तुत किया गया था कि "मुर-रम" पूरी तरह से दक्षिण-भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक पदार्थ था और उत्तरी क्षेत्र में और विशेष रूप से उस क्षेत्र में मौजूद नहीं था जिसमें याचिकाकर्ता-फर्म ईंट निर्माण का काम करते थे।

(7) एक मामूली विषयांतर आवश्यक हो जाता है। उपरोक्त तर्क की सराहना करते हुए हमने पाया कि "मुर्रम" शब्द अस्पष्ट था और इसकी उत्पत्ति अनिश्चित थी। वेबस्टर सहित कई आधिकारिक शब्दकोशों में इसका उल्लेख नहीं मिला। इसलिए इसका अर्थ स्पष्ट नहीं था। कुछ आधिकारिक वैज्ञानिक कार्यों में भी इसका कोई संदर्भ नहीं था और परिणामस्वरूप हमने इस बिंदु पर विशेषज्ञ साक्ष्य की जांच करने के लिए पक्षों के लिए विद्वान वकील की संयुक्त प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। पक्षकारों को समन करने और साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के लिए पीठ के समक्ष सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। तदनुसार भारत सरकार, दिल्ली के खान और धातु विभाग में खनन सलाहकार श्री इंदु मोहन आगा से उत्तरदाताओं की ओर से पूछताछ की गई, जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय के भूविज्ञान के प्रोफेसर ए. जी. झिंगरान ने याचिकाकर्ता के मामले के समर्थन में साक्ष्य दिए। इन गवाहों की गवाही के दौरान, पक्षों ने 'खनिज' शब्द के सटीक अर्थ के बारे में भी उनकी जांच करने का अवसर लिया।

(8) याचिकाकर्ता के उपरोक्त तर्क पर वापस लौटते हुए यह स्पष्ट है कि यह पूरी तरह से "मुर्रम" और "ईंट-पृथ्वी" शब्द के बीच अल्पविराम की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। हालाँकि, यह तथ्य ऐसा मामला नहीं है जिसे अलग से देखा जाना चाहिए। मान लीजिए कि 1957 के अधिनियम के अधिनियमन और उसके अधीन जारी आक्षेपित अधिसूचना से पूर्व खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 इस क्षेत्र में था। उक्त अधिनियम के तहत लघु खनिज रियायत नियम, 1949 विधिवत रूप से प्रख्यापित किए गए थे। इन नियमों के नियम 3 (ii) में "लघु खनिज" का वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया हैः-"3 (ii)" लघु खनिज "का अर्थ है निर्माण पत्थर, बोल्डर, शिंगल, बजरी लाइमशेल, कंकड़ और चूना पत्थर जो चूने को जलाने, मुर्रम, ईंट-मिट्टी, फुलर की मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। बेंटोनाइट, साधारण मिट्टी, साधारण रेत, सड़क धातु, रेह-माटी, स्लेट और शेल जब निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त के प्रासंगिक भाग की जांच से पता चलता है कि "मुर्रम" और "ईंट-पृथ्वी" शब्द के बीच एक अल्पविराम मौजूद था। अधिसूचना G.S.R की तुलना। 436 और उपर्युक्त नियम 3 (ii) यह दर्शाता है कि बाद की अधिसूचना ने बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के नियमों में उपरोक्त प्रावधान को केवल अपनाया और पर्याप्त रूप से प्रतिलिपि बनाया। यह समान महत्व का है कि नियमों के ऊपर बताए गए नियम 3 (ii) के प्रावधान 1958 की आक्षेपित अधिसूचना द्वारा इसके प्रतिस्थापन के समय तक वैधता के बने रहे। इसलिए, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील के तर्क में सार है कि बाद की अधिसूचना जारी करने में विधानमंडल कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले रहा था और न ही लघु खनिजों के संबंध में पूर्व प्रावधानों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रहा था और "मुर्रम" और "ईंट-पृथ्वी" शब्दों के बीच अल्पविराम का अभाव वास्तव में एक मुद्रक के शैतान से अधिक नहीं था। इस चूक को पूरी तरह से आकस्मिक बताया गया था। यह इस तथ्य से और स्पष्ट है कि बाद में 1969 में त्रुटि की खोज पर, एक अधिसूचना G.S.R। 901, दिनांक 22 मार्च, आक्षेपित अधिसूचना के संदर्भ में निम्नलिखित शर्तों में जारी किया गया थाः -

उक्त अधिसूचना में, "मुर्रम 'ईंट-पृथ्वी" शब्दों के स्थान पर "मुर्रम, ईंट-पृथ्वी" शब्द रखे जाएंगे।

उपरोक्त अधिसूचना का स्पष्ट इरादा "मुर्रम" और "ईंट-पृथ्वी" शब्दों के बीच अल्पविराम की अनुपस्थिति की पिछली त्रुटि को सुधारना था।

(9) उत्तरदाताओं के वकील ने आगे निर्माण के प्रसिद्ध नियम पर भरोसा किया कि विराम चिह्न और अल्पविराम क़ानून का अभिन्न अंग नहीं थे। इस प्रस्ताव का संदर्भ सबसे पहले लुईस पुघ इवांस पुघ बनाम आशुतोष सेन और अन्य को दिया गया था, (1) जिसमें एक वैधानिक प्रावधान का अर्थ लगाते हुए, अल्पविराम की उपस्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। अश्विनी कुमियार घोष में एक और बनाम अरमांडा बोस में एक और। (2) न्यायमूर्ति बी. के. मुखर्जी ने इस संदर्भ में निम्नलिखित टिप्पणी कीः-"किसी कानून के निर्माण में विराम चिह्न एक मामूली तत्व है, और अंग्रेजी द्वारा इस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

अदालतें, Cockburn C.J. स्टीफनसन बनाम टेलर (2ए) में कहा गया है 'संसद की सूची में कोई विराम चिह्न नहीं है और इसलिए हम मुद्रित प्रतियों में उससे बाध्य नहीं हैं'।

मुझे इस बात से इनकार करने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ मामलों में विराम चिह्न के अपने उपयोग हो सकते हैं, लेकिन इसे निश्चित रूप से एक नियंत्रक तत्व के रूप में नहीं माना जा सकता है और इसे किसी पाठ के सादे अर्थ को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

राज्य बनाम सत राम दास, (3) फालशॉ जे. डिवीजन बेंच की ओर से बोलते हुए (जैसा कि वे तब बोल रहे थे) इस प्रकार टिप्पणी की गई:-"हालांकि, मेरा विचार है कि किसी कानून का विराम चिह्न, आम तौर पर, विधायिका के इरादे को नियंत्रित या प्रभावित नहीं करता है।"

याचिकाकर्ताओं की ओर से इसके विपरीत कोई निर्णय नहीं लिया गया था और वास्तव में यह कानूनी स्थिति उनकी ओर से विवादित नहीं थी।

(10) इस संदर्भ में यह R.W की स्पष्ट गवाही को नोट करने के लिए समान रूप से शिक्षाप्रद है। 1 इंदु मोहन आगा इस बिंदु पर-"पृथ्वी मुर्रम, मिट्टी या मिट्टी हो सकती है लेकिन हम 'मुर्रम अर्थ' नहीं कहते हैं। विज्ञान के लिए 'मुर्रम ईंट-पृथ्वी' के रूप में जाना जाने वाला कोई पदार्थ नहीं है। किसी भी मानक पुस्तक में मुर्रम ईंट मिट्टी की कोई परिभाषा नहीं है।

(11) उपर्युक्त कारणों से मेरा विचार है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना "मुर्रम ईंट-पृथ्वी" के रूप में ज्ञात एक विशिष्ट पदार्थ पर लागू होती है और सामान्य "ईंट-पृथ्वी" पर नहीं होती है, यह पूरी तरह से असमर्थनीय है और अल्पविराम पर केवल एक विवाद से अधिक नहीं प्रतीत होता है, जिसका अभाव आक्षेपित अधिसूचना में प्रिंटर की ओर से चूक की त्रुटि से अधिक नहीं लगता है।

(12) अब मैं उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं जो वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए आता है जिसके बारे में पक्षकार विपरीत पक्षों से जुड़े हुए हैं और जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से गुण-दोष पर निर्णय आमंत्रित किया है। इस मुख्य मुद्दे पर याचिकाकर्ताओं की ओर से व्यापक तर्क इस प्रकार चलता है। खानों और खनिजों के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति सातवीं अनुसूची में प्रविष्टि 54 सूची I द्वारा शासित होती है जो निम्नलिखित शर्तों में है:-

"प्रविष्टि 54. खानों और खनिज विकास का विनियमन जिस हद तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित किया जाता है।

यह तर्क दिया जाता है कि न तो संविधान में और न ही खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में (जिसे इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) 'खनिज' शब्द को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। ऐसा होने पर, यह तर्क दिया गया कि इस संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति ऐसे पदार्थों तक ही सीमित है जो या तो लोकप्रिय अर्थों में या वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज हैं और किसी अन्य के लिए नहीं हैं। इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के अनुसार खनिज और ईंट-पृथ्वी नहीं होने वाली चीजों के संबंध में संसद को इस शीर्ष के तहत कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है, इसलिए न तो संसद और न ही इसके प्रतिनिधि इसे 'लघु खनिज' घोषित कर सकते हैं। यह जोरदार ढंग से तर्क दिया गया था कि जब तक कोई वस्तु खनिज नहीं है, तब तक इसे कानून के तहत या अधिसूचना द्वारा लघु खनिज नामित या घोषित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, "ईंट-पृथ्वी" की घोषणा संसद और उसके प्रतिनिधि दोनों की क्षमता से परे थी।

(13) उपरोक्त विवाद तुरंत एक ऐसे मुद्दे को सामने लाता है जो विवाद की जड़ में निहित है। 'खनिज' क्या है? क्या यह कला का एक शब्द है, जिसमें एक निश्चित धारणा है? यह प्रश्न, मेरे विचार से, केवल एक उत्तर स्वीकार करता है। 'खनिज' शब्द परिभाषा से रहित है और विभिन्न प्रकार के अर्थों में सक्षम है। यह कला का शब्द नहीं है, बल्कि एक सामान्य अंग्रेजी शब्द है जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। ऐसा कहने में मैं एक ऐसे दृष्टिकोण के साथ सैद्धांतिक रूप से सहमत हूं, जिसने सार्वभौमिक कानूनी स्वीकृति प्राप्त की है और इसके पीछे अधिकार की इतनी लंबी और अखंड श्रृंखला है कि अब एक विपरीत राय को स्वीकार करना व्यर्थ प्रतीत होता है। इस निर्णय पर बोझ डालने से बचने के लिए मैं केवल पिछली शताब्दी में इस बिंदु पर सीधे असर डालने वाले प्रसिद्ध अंग्रेजी और अमेरिकी अधिकारियों को संक्षेप में संदर्भित करने का प्रस्ताव करता हूं। 1888 में लॉर्ड प्रोवोस्ट और ग्लासगो

बनाम फैरी के मजिस्ट्रेटों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स की आधिकारिक घोषणा में, (4) लॉर्ड वॉटसन ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया:-'खान' और 'खनिज' निश्चित शब्द नहीं हैं; वे उस इरादे के अनुसार सीमा या विस्तार के लिए अतिसंवेदनशील हैं, जिसके साथ उनका उपयोग किया जाता है।

स्कॉट बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी में, (5) केनेडी जे. ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया:-'खनिज' शब्द वह है जिसका उपयोग अलग-अलग समय पर बहुत अलग अर्थों के साथ किया गया है। कुछ कानूनों में, इसका बहुत सीमित अर्थ है, दूसरों में इसका बहुत व्यापक अर्थ है। प्रत्येक मामले में यह निर्धारित करने के लिए कि क्या शब्द का उपयोग व्यापक या संकीर्ण अर्थों में किया जाता है, जैसा कि लॉर्ड हर्शल ने ग्लासगो बनाम फैरी में कहा था, (4) उस उद्देश्य को देखें जो विधानमंडल के विचार में था।

पुनः द कैलेडोनियन रेलवे कंपनी बनाम द ग्लेनबोइग यूनियन फायरक्ले कंपनी, (6) में लॉर्ड लोरबर्न ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया:-"मेरे स्वामी, बुधिल और कारपल्ला मामलों में इस सदन में निर्णय का सिद्धांत (7) और (8) मुझे लगता है कि यह था; न्यायालय को यह पता लगाना होगा कि पक्षों को क्रमशः क्या खरीदा और बेचा जाना चाहिए, यह याद रखते हुए कि 'खनिजों' की कोई परिभाषा प्राप्य नहीं है, विभिन्न अर्थ जो 'खनिज' शब्द का उपयोग सभी कठिनाइयों का स्रोत होने को स्वीकार करता है।

आगे अंग्रेजी अधिकारियों को गुणा करना अनावश्यक है क्योंकि ऐसा लगता है कि उपरोक्त दृष्टिकोण का सर्वोच्च अंग्रेजी न्यायालय में लगातार पालन किया गया है।

(14) एक समान दृष्टिकोण को अमेरिकी न्यायालयों में भी तैयार स्वीकृति मिली है। एडम्स काउंटी बनाम स्मिथ में उत्तरी डकोटा का सर्वोच्च न्यायालय, (9) मामले की विधि पर विचार करते हुए निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गया: -

"इन मामलों से पता चलता है कि 'खनिज' शब्द एक निश्चित शब्द नहीं है जो सभी उदाहरणों में लागू कठोर परिभाषा के लिए अतिसंवेदनशील है। यह उस इरादे के अनुसार सीमाओं या विस्तार के लिए अतिसंवेदनशील शब्द है जिसके साथ इसका उपयोग किया जाता है।

इसी प्रकार का विचार केंटकी के अपीलीय न्यायालय द्वारा कालबेरर बनाम ग्रासहम (10) और लुईयन के उच्चतम न्यायालय द्वारा होलोवे ग्रेवल कंपनी बनाम मैकोवेन (11) में भी व्यक्त किया गया है। इस मामले को श्री जस्टिस ब्राउन द्वारा उत्तरी प्रशांत रेलवे कंपनी बनाम जॉन ए. सोडरबर्ग में आधिकारिक रूप से संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था, (12).

'खनिज' शब्द का उपयोग कई अर्थों में किया जाता है, संदर्भ पर निर्भर करता है, कि शब्दकोश की सामान्य परिभाषाएं किसी दिए गए मामले में इसके अर्थ पर बहुत कम प्रकाश डालती हैं। इस प्रकार, पशु, वनस्पति या खनिज साम्राज्य में सभी पदार्थों का वैज्ञानिक विभाजन बेतुका होगा जैसा कि भूमि के अनुदान पर लागू होता है, क्योंकि सभी भूमि खनिज साम्राज्य से संबंधित हैं, और इसलिए इसे विनाशकारी बनाए बिना अनुदान से अलग नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, एक परिभाषा जो इसे कीमती धातुओं-सोने और चांदी तक सीमित रखेगी, इसके उपयोग को इतना सीमित कर देगी कि अपवाद के आधे मूल्य को एक बार में नष्ट कर देगा। अनुदान के समान रूप से विध्वंसक शताब्दी शब्दकोश में पाए जाने वाले खनिजों की परिभाषा होगी, 'पृथ्वी की पपड़ी के किसी भी घटक के रूप में;' और खानों पर बैनब्रिज की: 'वे सभी पदार्थ जो अब बनते हैं, या जो एक बार बनते हैं, पृथ्वी के ठोस

शरीर का एक हिस्सा। न ही हम खनिजों को 'खनन' किए गए पदार्थों के रूप में मानते हुए शब्द के अर्थ के अधिक निकटता से अनुमान लगाते हैं, जैसा कि 'उत्खनन' किए गए पदार्थों से अलग है, क्योंकि सोने, तांबे के लोहे और कोयले के कई मूल्यवान भंडार पृथ्वी की सतह पर या उसके पास स्थित हैं, और कुछ सबसे मूल्यवान निर्माण पत्थर, जैसे कि उदाहरण के लिए, फ्रांस में केन पत्थर, सतह के नीचे दूर चलने वाली खानों से खुदाई की गई है। यह भेद (9)23 उत्तरी पश्चिमी रिपोर्टर दूसरी श्रृंखला 873 (N.D.) (10) 138.9. W.R. दूसरी श्रृंखला 940।

(11) 9 दक्षिणी रिपोर्टर दूसरी श्रृंखला 228।

(12)संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय 47 कानून की रिपोर्ट करता है। एड। 524. भूमिगत खानों और खुले कामकाज के बीच मिडलैंड आर. कंपनी बनाम हाँचवुड ब्रिक एंड टाइल कंपनी (13) और हेक्स्ट बनाम गिल में स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया गया था, (14).

ऊपर देखा गया स्थापित न्यायिक दृष्टिकोण हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः -

'खनिज' शब्द की कोई सामान्य परिभाषा नहीं है। जिस इरादे से इसका उपयोग किया जाता है, उसके अनुसार अर्थ में विस्तार या सीमा के लिए अतिसंवेदनशील है, और विभिन्न प्रकार के अर्थ जिन्हें यह स्वीकार करता है, किसी भी सामान्य परिभाषा को तैयार करने के प्रयास में सभी कठिनाइयों का स्रोत है।'

(15)भूड़ चंद बनाम राजस्थान राज्य और अन्य मामले में पीठ की ओर से बोलते हुए निकट गृह मुख्य न्यायाधीश वांचू ने, (15) "खनिज" शब्द के अर्थ के बारे में एक विस्तृत चर्चा के बाद यह कहा था- "इसलिए, जिस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं, वह यह है कि 'खनिज' शब्द अपने अर्थ में उतना अनम्य नहीं है जितना कि पहली नजर में माना जाना चाहिए और आवश्यक रूप से एक खदान से जुड़ा हुआ नहीं है, हालांकि यह सामान्य रूप से है, और किसी दिए गए मामले में इसका सटीक अर्थ विशेष संदर्भ के संदर्भ में और विशेष मामले की आसपास की परिस्थितियों के संबंध में तय किया जाना चाहिए।"

(16) यह "खनिज" शब्द की अस्पष्टता और अस्पष्टता के संदर्भ में है कि विवादित विधान की वैधता या अन्यथा को देखा जाना चाहिए। क्या संसद उन पदार्थों को निर्दिष्ट करने में संवैधानिकता की सीमाओं और अपनी शक्तियों की सीमाओं को पार कर गई थी जो "लघु खनिज" की श्रेणी में आने वाले थे और जिसके परिणामस्वरूप कानून को लागू किया जाना था? मैं तुरंत इस मुद्दे का दृढ़ता से नकारात्मक जवाब दूंगा और इसके बाद अपने कारण दूंगा। यह स्वयंसिद्ध है कि निश्चितता कानून और विशेष रूप से वैधानिक विधान की एक आवश्यक विशेषता है। अतः संसद या उसके प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय सरकार वास्तव में कम से कम उस विषय वस्तु को सटीकता के साथ निर्धारित करने के लिए बाध्य थी जिसके बारे में वह खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में विधान बनाने का इरादा रखती थी।

(17) अब मैं याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए विवाद के विभिन्न पहलुओं और उत्तरदाताओं द्वारा उत्तर में दिए गए तर्कों की कुछ अधिक विस्तार से जांच करने के लिए आगे बढ़ूंगा।

(18) याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री मलिक के तर्क का मूल यह है कि हमें "खनिज" शब्द की वैज्ञानिक और रासायनिक परिभाषा निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने हमें "खनिज" शब्द को केवल ऐसे

पदार्थों तक सीमित और संकुचित करने के लिए आमंत्रित किया जो रासायनिक सूत्र के आकार में सटीक रूप से वर्णित होने में सक्षम थे। यह तर्क दिया गया था कि यह प्रश्न कि क्या कोई पदार्थ "खनिज" शब्द के अर्थ के भीतर था जैसा कि संसद के एक अधिनियम में उपयोग किया गया था, यह तय करने के लिए कानून या न्यायिक उदाहरण के लिए नहीं था, बल्कि अंतिम परीक्षण या तो वैज्ञानिक प्रयोगशाला में या खनिज विज्ञान, भूविज्ञान या रसायन विज्ञान के तथाकथित विशेषज्ञों की राय में होना चाहिए। मामले में प्रस्तुत कुछ साक्ष्यों और कुछ वैज्ञानिक शब्दकोशों पर भी भरोसा करते हुए, यह वकालत की गई थी कि "खनिज" होने के लिए एक पदार्थ में एक निश्चित रासायनिक संरचना होनी चाहिए जो एक सूत्र में कम हो सकती है और कोई भी पदार्थ जो इस एसिड परीक्षण से थोड़ा अलग हो जाता है, कानून की नजर में "खनिज" नहीं हो सकता है और इसके परिणामस्वरूप संसदीय कानून के दायरे से बाहर होगा। हमें उपरोक्त प्रस्ताव के समर्थन में विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और साधारण अंग्रेजी शब्दकोशों के लिए संदर्भित किया गया था और वास्तव में हमें याचिकाकर्ताओं द्वारा "खनिज" शब्द की एक संकीर्ण छद्म-वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार करने के लिए कहा गया है।

(19) मुझे सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। मुझे लगता है कि व्यापक और व्यापक अर्थ को छोड़ने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है, जिसे हमेशा एक संकीर्ण और संकुचित अर्थ के पक्ष में "खनिज" शब्द के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। ऐसा सबसे पहले इसलिए है क्योंकि निश्चित रूप से "खनिज" शब्द रसायन विज्ञान, भूविज्ञान या खनिज विज्ञान की कला का शब्द नहीं है। यह एक आम अंग्रेजी शब्द है जिसका हमेशा न्यायिक रूप से व्यापक आयाम में अर्थ लगाया गया है। मुझे इसके बड़े आयात को रासायनिक सूत्र की सीमित सीमा तक कम करने का कोई आश्वासन नहीं मिलता है। हमने बार-बार याचिकाकर्ताओं के वकील को किसी भी प्राधिकरण का हवाला देने के लिए आमंत्रित किया था, जिसमें "खनिज" शब्द को एक सटीक वैज्ञानिक परिभाषा द्वारा सीमित किया गया है, जिसका उन्होंने प्रचार किया था। विद्वान वकील को निष्पक्ष रूप से यह स्वीकार करना पड़ा कि किसी भी उदाहरण में ऐसी परिभाषा या सीमा का प्रयास भी नहीं किया गया है। वास्तव में इस बिंदु पर आधिकारिक उच्चारण का सर्वसम्मत दृष्टिकोण उस बड़े और अपरिवर्तित अर्थ को दर्शाता है जिसमें "खनिज" शब्द को हमेशा स्वीकार और उपयोग किया गया है। इसलिए मैं प्रमुख अंग्रेजी और अमेरिकी मामलों को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में संक्षेप में विज्ञापन दूंगा। 1867 में मिडलैंड रेलवे कंपनी बनाम चेकली (16) में लॉर्ड रोमिली ने कहा:-"पहले बिंदु पर मुझे लगता है कि कोई सवाल नहीं है। पत्थर, मेरी राय में, स्पष्ट रूप से एक खनिज है, और वास्तव में केवल सतह को छोड़कर सब कुछ, जो कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है, उससे परे कुछ भी जो किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोगी है, चाहे वह बजरी हो, संगमरमर हो, अग्नि-मिट्टी हो, या इसी तरह, खनिज शब्द के भीतर आता है, जब भूमि अनुदान से खानों और खनिजों का आरक्षण होता है; पत्थर की हर प्रजाति, चाहे संगमरमर, चूना पत्थर, या लोहे का पत्थर, मेरी राय में, उसी श्रेणी में आता है।

हेक्स्ट बनाम गिल, (14) में लॉर्ड जस्टिस मेलिश ने इस प्रकार निर्धारित किया:-"कई अधिकारियों, कुछ को कानून में और कुछ को न्याय में, यह दिखाने के लिए हमारे सामने लाया गया है कि 'खनिज' शब्द का अर्थ क्या है। लेकिन अधिकारियों का परिणाम, उनके माध्यम से जाने के बिना, यह प्रतीत होता है कि 'खनिजों' के आरक्षण में प्रत्येक पदार्थ शामिल है जो लाभ के उद्देश्य से पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त किया जा सकता है, जब तक कि न्यायालय को इसे अधिक सीमित अर्थ देने के लिए प्रेरित करने के लिए लेनदेन के संदर्भ में या प्रकृति में कुछ न हो।

ग्लासगो बनाम फैरी (4) में पहले से ही संदर्भित हाउस ऑफ लॉर्ड्स मामले में लॉर्ड मैकनाघटेन ने इस प्रकार कहा:-"अब खनिज शब्द का निस्संदेह" खान "शब्द की तुलना में व्यापक अर्थ हो सकता है।

इसके व्यापक अर्थ में इसका अर्थ संभवतः मिट्टी की परत के अलावा पृथ्वी की पपड़ी का हिस्सा बनने वाले प्रत्येक अकार्बनिक पदार्थ से है जो वनस्पति जीवन को बनाए रखता है।

चाहे जो भी हो, यह निर्धारित किया गया है कि 'खनिज' शब्द का उपयोग जब किसी कानूनी दस्तावेज में या संसद के किसी अधिनियम में किया जाता है तो उसे इसके व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए, जब तक कि इसके अर्थ को नियंत्रित करने के लिए मामले के संदर्भ में या प्रकृति में कुछ न हो।

वाशिंगटन के सर्वोच्च न्यायालय में पुजेट मिल कंपनी बनाम ड्यूसी (17) के अमेरिकी मामले में, न्यायालय की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति मिलार्ड ने इस संदर्भ में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:- 'खनिज' शब्द, जो अकेले खड़ा है, एक व्यापक, सामान्य, लोकप्रिय परिभाषा के तहत, मिट्टी को गले लगा सकता है, इसलिए इसमें रेत और बजरी और सतह के नीचे पाया जाने वाला सब कुछ शामिल है।

उपरोक्त अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि "खनिज" शब्द को एक संकीर्ण वैज्ञानिक परिभाषा तक सीमित रखने के लिए न्यायिक पूर्ववर्ती में कोई वारंट नहीं है और वास्तव में पूर्ववर्ती का सर्वसम्मत वजन इसके विपरीत है।

(20) मैं संक्षेप में अंग्रेजी की विविधता के लिए विज्ञापन 1 को एक वैज्ञानिक शब्दकोश के रूप में सत्यापित करूंगा, जिससे याचिकाकर्ताओं की ओर से समर्थन की कुछ झलक मांगी गई थी। यहां तक कि थोड़ी सी पुनरावृत्ति की कीमत पर भी किसी को उत्तरी पी. आर. को. बनाम सोडरबर्ग (12) में यूनाइटेड स्लेट्स सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ब्राउन के कथन को सुनना पड़ता है-'खनिज' शब्द का उपयोग इतने सारे अर्थों में किया जाता है, संदर्भ पर निर्भर करता है कि शब्दकोश की सामान्य परिभाषाएं किसी दिए गए मामले में इसके अर्थ पर बहुत कम प्रकाश डालती हैं।

केवल इस दृष्टिकोण की सच्चाई के एक उदाहरण के रूप में मैं वेबस्टर के न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी में "खनिज" शब्द को दिए गए कई अर्थों में से केवल एक का उल्लेख कर सकता हूं जो इस प्रकार है:- "कुछ भी जो न तो पशु है और न ही वनस्पति, जैसा कि जानवरों, सब्जियों और खनिज तीन राज्यों में चीजों के पुराने सामान्य वर्गीकरण में है।"

फिर से अंग्रेजी भाषा के रैंडम हाउस डिक्शनरी में, दिए गए अर्थों में से एक इस प्रकार है:-"कोई भी पदार्थ जो न तो पशु है और न ही सब्जी।"

(17) 96 पैसिफिक रिपोर्टर 2डी, 571.

याचिकाकर्ताओं की ओर से जिन अन्य कार्यों पर भरोसा किया गया था, उनके संदर्भ से भी इसी तरह का परिणाम मिलता है। इसलिए मेरी राय है कि इन शब्दकोशों का एक विस्तृत अवलोकन, चाहे वे वैज्ञानिक हों या अन्यथा इस बिंदु पर व्यर्थ है क्योंकि उनका एक संदर्भ केवल "खनिज" शब्द के लिए जिम्मेदार अर्थों के व्यापक विचलन को दोहराता है, न कि उसी की किसी सटीक अवधारणा को।

(21) विद्वान वकील ने मामले में जांच किए गए दो विशेषज्ञों के साक्ष्य के आधार पर उनमें से किसी एक द्वारा प्रचार किए गए दृष्टिकोण के समर्थन में रिलायंस को रखा था। हालाँकि, मेरा विचार है कि जहाँ तक इस साक्ष्य पर भरोसा किया जाता है या "खनिज" शब्द के सटीक अर्थ को परिभाषित करने या श्रेय देने के लिए निर्देशित किया जाता है, यह मुद्दे के लिए अस्वीकार्य और अप्रासंगिक दोनों है। वर्तमान मामले में हमें यह निर्धारित करना है कि "खनिज" शब्द का अर्थ क्या है जैसा कि संसद के अधिनियम में उपयोग किया गया है और क्या कोई निश्चित पदार्थ उस शब्द के अर्थ के भीतर आता है। स्पष्ट रूप

से संसद के अधिनियम में उपयोग की गई भाषा का निर्माण न्यायालय द्वारा व्याख्या का विषय है न कि साक्ष्य का। मुझे नहीं लगता कि विशेषज्ञों का भ्रम या उनके द्वारा विचार किए गए परस्पर विरोधी विचार किसी भी तरह से कानून में उपयोग किए गए शब्द की कानूनी स्वीकृति को नियंत्रित करते हैं। जो दृष्टिकोण मैं लेता हूं वह ग्रेट वेस्टर्न रेलवे कॉम्वेनी बनाम कार्पाला यूनाइटेड चाइना क्ले कॉम्प 'एनी लिमिटेड में अपील न्यायालय के निर्णय द्वारा पूरी तरह से मजबूत किया गया है। (18). उस मामले में इस मुद्दे पर कि क्या चीन की मिट्टी अधिनियम के अर्थ के भीतर एक खनिज थी, उस समय के प्रमुख वैज्ञानिक विशेषज्ञों से युक्त सबूतों के एक समूह की जांच की गई थी। इस गवाही को विचार से बाहर करते हुए, फ्लेचर मौल्टन L.J. निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की गई:-"मैं चीन की मिट्टी के खनिज होने के संबंध में इस मामले के मुकदमे में दिए गए पूरे साक्ष्य को दो आधारों पर अस्वीकार करता हूं। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि इस तरह के सबूत अस्वीकार्य थे। प्रश्न एक साधारण अंग्रेजी शब्द की उचित कानूनी स्वीकृति में व्याख्या के बारे में है, और वह न्यायालय के लिए है, और यह साक्ष्य का विषय नहीं है। दूसरा आधार जिस पर मैं इसे अस्वीकार करता हूं, वह यह है कि मेरी राय में उस पूरे साक्ष्य को एक झूठे मुद्दे पर निर्देशित किया गया था। इसमें खनिज विज्ञानियों से पूछना शामिल था कि क्या यह पदार्थ, जो व्यावसायिक रूप से इतना प्रसिद्ध है और इतना महत्वपूर्ण है

औद्योगिक रूप से, यह एक खनिज था। एक खनिज विज्ञानी के लिए प्रश्न का अर्थ होगा, क्या यह एक निश्चित और विशिष्ट खनिज, सजातीय और ज्ञात खनिज विशेषताओं वाला था? यह एक ऐसा मुद्दा है जो यहां पूरी तरह से महत्वहीन है। सबसे प्रसिद्ध खनिजों में से कई विभिन्न प्रकार के खनिजों के मिश्रण हैं यदि उस शब्द का उपयोग इसके सख्त खनिजशास्त्रीय अर्थों में किया जाता है, लेकिन यह प्रसिद्ध मिश्रण को कानून की नजर में एक खनिज होने से नहीं रोकता है। इसलिए उस प्रमाण को एक तरफ रखते हुए, मैं कहता हूं कि चीनी मिट्टी मुझे, शब्द की सामान्य स्वीकृति में, आम तौर पर एक खनिज प्रतीत होती है।

उपरोक्त लॉर्ड जस्टिस के साथ सहमति जताते हुए फेयरवेल ने संक्षेप में इस प्रकार कहा:- मैं फ्लेचर मौल्टन एल. जे. की टिप्पणियों से सहमत हूं कि यहां दिए गए विशेषज्ञ साक्ष्य के बड़े हिस्से की अस्वीकृति और अपरिवर्तनीयता दोनों के कारण अप्रयोज्य है।

यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त निर्णय की पुष्टि हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कार्पाला के मामले में अपील पर की गई थी I

(22) तथापि, कुछ क्षणों के लिए यह मानते हुए कि गवाही या तो स्वीकार्य है या प्रासंगिक है। मुझे लगता है कि "खनिज" शब्द के सटीक अर्थ को समझने में या इस बिंदु पर कि क्या ईंट-पृथ्वी उस दायरे में आएगी, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के विद्वान वकील ने उनमें से प्रत्येक द्वारा दिए गए तर्क का समर्थन करने के लिए दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ की गवाही पर भरोसा करने के लिए एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रोफेसर ए. जी. झिंगरान की प्रतिपरीक्षा में ईंट-पृथ्वी की अवधारणा को छोड़ दिया गया और कहा गया:-"वैज्ञानिकों के रूप में हम कहते हैं कि ईंटें मिट्टी से बनती हैं न कि मिट्टी से। पृथ्वी एक बहुत ही ढीला शब्द है। इसका कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं है। भूविज्ञान में, हम पृथ्वी की बात तब तक नहीं करते जब तक कि यह फुलर की पृथ्वी और डायटोमेसियस पृथ्वी का संदर्भ न हो। मिट्टी में ईंटें बनाने के लिए मिट्टी होती है।

यह गवाह अपनी गवाही में भी बहुत सुरक्षित था कि कब ईंट-पृथ्वी या पृथ्वी ही एक खनिज हो सकती है। उदाहरण के लिए उन्होंने पदच्युत किया:-"पृथ्वी एक खनिज नहीं है, लेकिन कुछ योग्य पृथ्वी को खनिजों के रूप में वर्णित किया गया है, उदाहरण के लिए, फुलर की पृथ्वी, डायटोमेसियस पृथ्वी आमतौर पर, जिस पृथ्वी से ईंटें बनाई जाती हैं, उसे खनिज नहीं कहा जा सकता है। इसे खनिज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं है।

दूसरी ओर आर. डब्ल्यू. 1 श्री इंदु मोहन आगा ने उत्तरदाताओं की ओर से पहले इस प्रकार कहा था:-"पृथ्वी खनिज नहीं है। यह खनिजों का समुच्चय है। अगर पृथ्वी एक खनिज होती, तो हर जगह इसकी स्थिरता समान होती, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी की स्थिरता स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। पृथ्वी चट्टानों का विघटित उत्पाद है। यह मुर्रम हो सकता है यह मिट्टी हो सकती है, यह बजरी, मिट्टी आदि हो सकती है।

इसके अलावा इस गवाह ने ईंट-मिट्टी के बारे में इस प्रकार अपदस्थ किया:-"ईंट की मिट्टी और ईंट की मिट्टी एक पर्यायवाची शब्द है। वे मोटे तौर पर समानार्थी हैं। ईंटों की मिट्टी खनिजों का एक समूह है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ईंट की मिट्टी एक खनिज है।

इसके अलावा इस गवाह ने ईंट-पृथ्वी की सटीक रासायनिक संरचना को निम्नलिखित शब्दों में दिया:-"एक अच्छी ईंट-पृथ्वी की अनुमानित रासायनिक संरचना इस प्रकार है, सिलिका, तीन-चौथाई, एल्यूमिना, एक-पांचवां, कैल्शियम, लोहा, मैंगनीज, मैग्नीशियम, सोडियम और विभिन्न अन्य पदार्थ शेष पांचवें हिस्से को बनाते हैं।"

प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने यह स्थिति अपनाई कि साधारण पृथ्वी जैसी कोई चीज नहीं है और आगे अपदस्थ किया कि ईंट-पृथ्वी का पिघलने का बिंदु 1400° सेंटीग्रेड है। ईंट-पृथ्वी का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण पूरे समय समान नहीं होगा। मैं इस साक्ष्य के संदर्भों को गुणा करना अनावश्यक समझता हूं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि प्रत्येक भौतिक बिंदु पर यह कभी-कभी बहुत प्रत्यक्ष रूप से विरोधाभासी प्रतीत होता है। सौभाग्य से मैं इस विशेषज्ञ गवाही के अपरिवर्तनीय संघर्षों को समेटने के लिए प्रेरित महसूस नहीं करता। शायद यह भी उतना ही भाग्यशाली है कि संसदीय कानूनों का निर्माण कथित वैज्ञानिक विशेषज्ञों की अलग-अलग और परस्पर विरोधी राय की बदलती रेत की तुलना में एक मजबूत नींव पर होना है।

(23) पूर्वगामी कारणों से मैं खुद को याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा "खनिज" शब्द के अर्थ को सीमित करने के लिए सुझाए गए संकीर्ण, तकनीकी और कथित वैज्ञानिक सीमा को स्वीकार करने में असमर्थ पाता हूं।

(24) एक तर्क जो हमारे सामने थोड़ा दबाया गया था, वह यह था कि अपने सामान्य लोकप्रिय अर्थ में "खनिज" शब्द अपने दायरे में ईंट-पृथ्वी को शामिल नहीं करेगा। सबसे पहले यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यहां हम किसी निजी विलेख या अनुदान या अनुबंध का अर्थ नहीं बल्कि एक वैधानिक प्रावधान बना रहे हैं। इसलिए, उपरोक्त तर्क का संक्षिप्त उत्तर यह है कि वर्तमान मामले में हम वैधानिक विधान का अर्थ लगा रहे हैं और उसमें उपयोग किए गए शब्दों और भाषा को उनकी कानूनी स्वीकृति में लिया जाना चाहिए। यह इतना तय किया गया व्याख्या का एक अर्थ है जिससे विचलित नहीं किया जा सकता है। द कमिश्नर फॉर स्पेशल पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स बनाम जॉन फ्रेडरिक पेम्सेल (19) में लॉर्ड मैकनाघटेन ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया था:-"संसद के अधिनियमों का अर्थ लगाने में, यह एक सामान्य नियम है, इस सदन में अधिकार के बिना नहीं (स्टीफेंसन बनाम हिगिन्सन (20) कि शब्दों को उनके कानूनी अर्थों में लिया जाना चाहिए जब तक कि कोई विपरीत इरादा प्रकट न हो।"

चेस्टरमैन और अन्य बनाम फेडरल कमिश्नर ऑफ टैक्सेशन (21) में लॉर्ड ब्रेनबरी ने उपरोक्त उक्ति की स्पष्ट रूप से पुष्टि की। फिर भी लॉरेंस आर्थर एडमसन और अन्य बनाम मेलबर्न और मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स (22) में उपरोक्त दो निर्णयों के बाद यह फिर से माना गया है कि संसदीय कानूनों का अर्थ लगाते समय यह सामान्य नियम है कि शब्दों को उनके तकनीकी कानूनी अर्थों में लिया जाना चाहिए जब तक कि विपरीत इरादा प्रकट न हो। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने न तो बहस की है और न ही दूर से किसी ऐसी बात की ओर इशारा किया है जो यह दर्शाती है कि संसद का कानूनी अर्थ के अलावा किसी अन्य अर्थ में इस शब्द का उपयोग करने का विपरीत इरादा था।

(25) अब कानून के विशिष्ट भाग पर आते हैं, जिन पर हमला किया गया है, याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री मलिक का अगला हमला पहले खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ई) के खिलाफ निर्देशित किया गया है। विवाद को समझने के लिए सबसे पहले इसके प्रावधानों को निर्धारित करना समीचीन हैः - सेक. 3 (ङ) "लघु खनिजों" से निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, निर्धारित प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली रेत के अलावा साधारण रेत और कोई अन्य खनिज अभिप्रेत है जिसे केन्द्रीय सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, लघु खनिज घोषित कर सकती है। "

श्री मलिक ने सबसे पहले तर्क दिया कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची। की प्रविष्टि 54 के तहत कानून बनाने की संसद की शक्ति केवल खानों के विनियमन और खनिजों के विकास तक ही सीमित है। यह बहुत संतोषजनक था कि उपरोक्त प्रविष्टि के तहत संसद अधिनियम के प्रयोजनों के लिए "खनिजों" को निर्दिष्ट करने या उन्हें "लघु खनिज" घोषित करने के लिए सक्षम नहीं थी। फिर विद्वान वकील ने तार्किक और असम्बद्ध रूप से यह तर्क दिया कि निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण रेत और साधारण मिट्टी ऐसे पदार्थ नहीं हैं जिनकी अपरिवर्तनीय रासायनिक संरचना होती है और न ही वे निश्चित भौतिक गुणों जैसे कि एक निश्चित पिघलने बिंदु, क्वथनांक, हिमांक बिंदु, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, अपवर्तक सूचकांक, या क्रिस्टलीय रूप आदि के वैज्ञानिक परीक्षण को संतुष्ट करते हैं। यह तर्क दिया गया था कि ये चार पदार्थ "खनिज" नहीं हैं और संसद की शक्ति केवल खनिजों के संबंध में कानून बनाने तक सीमित है, इसलिए धारा 3 (ई) संविधान के अधिकार से बाहर थी। यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में सुझाव दिया गया था कि चूंकि ये चार पदार्थ खनिज नहीं थे, इसलिए, उन्हें विवादित खंड द्वारा "लघु खनिज" भी घोषित नहीं किया जा सकता है।

(26) उपरोक्त तर्कों के प्रथम भाग की जांच करने पर मुझे यह प्रतीत होता है कि यह तर्क कि संसद के पास उन "खनिजों" या "लघु खनिजों" को निर्दिष्ट करने या घोषित करने की शक्ति नहीं है, जिन पर प्रविष्टि 54 की व्यापक भाषा के बावजूद 1957 का अधिनियम लागू किया जाना था। यह विधायी प्रविष्टियों के लिए एक प्रकार के सैद्धांतिक दृष्टिकोण को धोखा देता है जिसे सर्वोच्च न्यायालय और नवीनचंद्र मफतलाल, बॉम बे बनाम आयकर आयुक्त, बॉम बे सिटी (23) में बार-बार अवमूल्यन किया गया है, इसे इस संदर्भ में निम्नानुसार निर्धारित किया गया हैः-"जैसा कि Gwyer C.J द्वारा इंगित किया गया है। में-'संयुक्त प्रांत बनाम माउंट। अतीका बेगम '(24) सूचियों में से किसी भी मद को संकीर्ण या सीमित अर्थ में नहीं पढ़ा जाना चाहिए और प्रत्येक सामान्य शब्द को उन सभी सहायक या सहायक मामलों तक विस्तारित किया जाना चाहिए जिन्हें इसमें निष्पक्ष और यथोचित रूप से समझा जा सकता है।

व्याख्या का मूल नियम, हालांकि, यह है कि शब्दों को उनके सामान्य, प्राकृतिक और व्याकरणिक अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए, बशर्ते कि विधायी शक्ति प्रदान करने वाले संवैधानिक अधिनियम में शब्दों का अर्थ लगाने में सबसे उदार संरचना शब्दों पर रखी जानी चाहिए ताकि वे अपने व्यापक आयाम में प्रभाव डाल सकें।

(27) उपरोक्त नियम को दोहराते हुए और ब्रिटिश निगम बनाम राजा (25) पर भरोसा करते हुए श्री राम-राम नारायण मेधी और अन्य बनाम बॉम्बे राज्य (26) में उनके प्रभुता फिर से इस प्रकार थी-"यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि इन विधानों के प्रमुखों को संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण अर्थों में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि एक बड़ी और उदार व्याख्या दी जानी चाहिए।

समान अवलोकन वेवर्ली जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड और एक अन्य बनाम रेमन एंड कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड में फिर से दिखाई दिए। लिमिटेड (27) पंजाब डिस्टिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, खासा बनाम आय-कर आयुक्त, शिमला (28) में इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ में यह इंगित करने के बाद कि

सूची में विभिन्न प्रविष्टियां विधान की शक्तियां नहीं हैं, बल्कि विधान के क्षेत्र हैं, यह निम्नानुसार देखा गया हैः-"इस प्रकार विधायी क्षेत्र व्यापक है और विधान के मदों में न केवल मुख्य उद्देश्य शामिल हैं, बल्कि सभी सहायक और सहायक मामले भी शामिल हैं, जिन्हें निष्पक्ष रूप से और यथोचित रूप से किसी विशेष प्रविष्टि के दायरे में कहा जा सकता है। संयुक्त प्रांत बनाम माउंट का संदर्भ दिया जा सकता है। अतीका बेगम (24). ये प्रविष्टियाँ विधायी प्रमुखों की प्रकृति की हैं और इन्हें सक्षम चरित्र की मानी जाती हैं। इन प्रविष्टियों की भाषा को व्यापक गुंजाइश इस मुख्य कारण से दी गई है कि वे सरकार की एक मशीनरी स्थापित करते हैं और इसमें न केवल प्रदान करने की शक्ति शामिल हो सकती है, बल्कि अधिकारों को समाप्त करने, नियंत्रित करने या संशोधित करने की भी शक्ति शामिल हो सकती है। सहायक या सहायक मामलों का दायरा बहुत व्यापक है।

उपर्युक्त कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह तर्क कि धारा 3 (ई) सूची 1 की प्रविष्टि 54 द्वारा प्राधिकृत क्षेत्र से परे फैली हुई है, मुझे पूरी तरह से अस्थिर प्रतीत होती है।

(29) श्री मलिक का दूसरा तर्क कि पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और साधारण रेत का निर्माण खनिज नहीं है और इसलिए संसद द्वारा इसे "लघु-खनिज" के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, समान रूप से अस्थिर प्रतीत होता है। मैंने पहले ही "खनिज" शब्द की एक सीमित तकनीकी परिभाषा को स्वीकार नहीं करने के लिए अपने कारणों का विस्तार से संकेत दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वर्तमान तर्क पूरी तरह से उस कमजोर आधार पर आधारित है। अब जो कुछ बचा है वह मामले के कानून के द्रव्यमान से बाहर प्रमुख मामलों का संक्षिप्त संदर्भ देना है जिसमें उपरोक्त पदार्थों को न्यायिक रूप से "खनिज" शब्द के दायरे में आने के लिए समझा गया है। 1867 में मिडलैंड रेलवे कंपनी के मामले (13) में लॉर्ड रोमिली के कथन का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह माना था कि पत्थर स्पष्ट रूप से एक खनिज था और इसकी हर प्रजाति, e.g., बजरी, संगमरमर, अग्नि-मिट्टी, चूना पत्थर या लोहे का पत्थर या इसी तरह उस शब्द के दायरे में आया था। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद के मामलों में यह दृष्टिकोण अलग नहीं हुआ है और वास्तव में इसे अमेरिकी न्यायालयों में एक तैयार स्वीकृति मिली है। उत्तरी प्रशांत रेलवे कंपनी बनाम जॉन ए. सोडरबर्ग (12) में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि खदानों से बरामद ग्रेनाइट एक खनिज था और इस तरह ग्रेनाइट खदानों को "खनिज भूमि" शब्द द्वारा कवर किया गया था।

(30) जहाँ तक रेत और बजरी का संबंध है, लॉर्ड रोमिली ने अर्ल काउली बनाम वेलेस्ली (29) में इस प्रकार निर्धारित किया हैः-"बंजर भूमि पर पूरी बजरी या रेत को एक खदान के रूप में माना जाना चाहिए, और प्रत्येक बजरी के गड्ढे को खदान में एक ताजा गड्ढे के रूप में माना जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण का अनुसरण किया गया और स्कॉट बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी (5) में दोहराया गया, जहां इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया हैः-"सवाल यह है कि क्या बजरी और रेत 'अन्य खनिज' शब्द के भीतर आते हैं। संसद के किसी अधिनियम या किसी कानूनी दस्तावेज में 'खनिजों' में प्रथम दृष्टया बजरी या रेत जैसी चीजें शामिल हैं, अब तय किए गए मामलों द्वारा स्पष्ट रूप से निपटाया जाता है। और मैं अधिनियम की प्रकृति या संदर्भ में इस शब्द के व्यापक प्रथम दृष्टया अर्थ को योग्य बनाने के लिए कुछ भी नहीं देख सकता।

(31)जहां तक मिट्टी का संबंध है, सर जॉर्ज मेलिश ने हेक्स्ट बनाम गिल (14) के प्रमुख मामले में इस सवाल का जवाब देते हुए कि क्या चीन की मिट्टी को "खानों और खनिजों" के अपवाद के तहत आरक्षित किया गया था, कहा- "इसलिए, मेरी राय है कि चीन की मिट्टी को आरक्षण में शामिल किया गया है। इसके खिलाफ एकमात्र तर्क यह है कि चीनी मिट्टी को सतह को नष्ट किए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, और इसका उद्देश्य बिना मुआवजे के सतह को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से शक्ति देना नहीं हो सकता है। बेल बनाम विल्सन L.R. 1 Ch. 303,

हालांकि, एक प्रत्यक्ष प्राधिकरण प्रतीत होता है कि केवल यह परिस्थिति कि सतह को नष्ट किए बिना एक खनिज प्राप्त नहीं किया जा सकता है, हालांकि यह यह मानने के लिए एक बहुत मजबूत आधार हो सकता है कि खनिज का मालिक इसे प्राप्त करने का हकदार नहीं है, "खनिज" शब्द के अर्थ को कम करने का आधार नहीं है।

कार्पल्ला के मामले (8) का संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस निर्णय की पुष्टि की थी कि चीन की मिट्टी एक खनिज थी। मैं इस निर्णय को अन्य मामलों के संदर्भों के साथ बोझ डालना अनुचित समझता हूं। कई प्रमुख अंग्रेजी मामलों में सामान्य मिट्टी, चीनी मिट्टी, लंदन मिट्टी, टियोराकोटा मिट्टी और अग्नि मिट्टी को खनिज शब्द के अर्थ के भीतर रखा गया है।

(31) उपर्युक्त उदाहरण की लंबी रेखा को ध्यान में रखते हुए और सिद्धांत रूप में भी मैं यह अभिनिर्धारित करने में असमर्थ हूं कि असंवैधानिकता का कोई भी दाग अधिनियम की धारा 3 (ई) से इस तथ्य के कारण जुड़ा हुआ है कि इस प्रकार संसद ने निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण रेत और साधारण मिट्टी को लघु खनिज के रूप में निर्दिष्ट किया है।

(32) याचिकाकर्ता की ओर से तर्क तब आगे बढ़ता है कि अधिसूचना सं। G.S.R. 436, जहां तक ईंट-पृथ्वी को एक लघु खनिज घोषित किया गया है, यह संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और किसी भी मामले में संसद इसमें निहित शक्ति को केंद्र सरकार को सौंप नहीं सकती है।

(33) मैंने ऊपर एक विस्तृत विचार किया है कि निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण रेत और साधारण मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ "खनिज" शब्द के दायरे में हैं। मान लीजिए कि उपरोक्त चार पदार्थ एक निश्चित रासायनिक संरचना या निश्चित भौतिक गुणों जैसे कि एक अपरिवर्तनीय गलनांक, क्वथनांक, हिमांक बिंदु, घनत्व विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, अपवर्तक सूचकांक आदि के अम्ल परीक्षण को संतुष्ट नहीं करते हैं, जिनकी याचिकाकर्ताओं की ओर से वकालत की गई है। एक बार ऐसा करने के बाद यह देखने में विफल रहता है कि क्यों "ईंट-पृथ्वी" "खनिज" शब्द के दायरे में नहीं आ सकती है। यह ध्यान देने योग्य है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश प्रो. A.G. झिंगरान ने स्वयं इस प्रकार राय दी:-"वैज्ञानिकों के रूप में हम कहते हैं कि ईंटें मिट्टी से बनती हैं न कि मिट्टी से। पृथ्वी एक बहुत ही ढीला शब्द है। इसका कोई वैज्ञानिक अर्थ नहीं है। मिट्टी में ईंटें बनाने के लिए मिट्टी होती है। 'ईंट-पृथ्वी' शब्द का उपयोग तभी किया जाएगा जब वह विशेष मिट्टी ईंट बना सकती है।

(34) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष फिर से यह स्वीकार किया गया कि हर प्रकार की मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। मान लीजिए अगर मिट्टी में बड़ी मात्रा में रेतीली सामग्री है तो यह ईंट बनाने के लिए बेकार है। समान रूप से यदि पृथ्वी में बजरी की पर्याप्त मात्रा है तो उससे कोई ईंट नहीं बनाई जा सकती है। इसके अलावा अगर कोई चट्टानी आधार है तो मिट्टी ईंट निर्माण के लिए अनुपयुक्त होगी। सकारात्मक रूप से यह स्वीकार किया गया कि ईंट निर्माण के लिए उपयोग करने योग्य पृथ्वी में चिपकने वाले गुण होने चाहिए जो बदले में उसमें मिट्टी की उपस्थिति से प्रदान किए जाने चाहिए। दूसरे शब्दों में मिट्टी में मिट्टी की मात्रा आवश्यक है जिसका उपयोग ईंट बनाने के गुणों के लिए किया जा सकता है।

(35) श्री I.M. आगा ने ईंट-पृथ्वी की अनुमानित रासायनिक संरचना दी जो ईंट निर्माण के विशिष्ट गुणों के लिए उपयुक्त होगी। इसलिए, ईंट-मिट्टी को किसी भी और हर प्रकार की मिट्टी के साथ भ्रमित करना उपयुक्त है।

(36) उस न्यायिक मिसाल ने ईंट की मिट्टी और ईंट की मिट्टी को "खनिज" शब्द के दायरे में रखा है, जो फिर से निर्विवाद है। मैं केवल कुछ प्रमुख मामलों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा जिनमें यह आयोजित किया गया है।

(37) टकर बनाम लिंगर (30) में यह इस प्रकार देखा गया था:-"तो हमारे पास रेत है।" रेत निश्चित रूप से एक खनिज है जब इसे लाभ पर काम किया जाता है और सतह के नीचे खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। फिर "पत्थर की खदानों" को डाला जाता है क्योंकि वे खुले काम करते हैं। फिर "ईंट की मिट्टी" आती है जो एक खनिज है, और फिर "बजरी के गड्ढे", जो खुले कार्य हैं।

(38) द अर्ल ऑफ जर्सी बनाम द गार्डियंस ऑफ द पूअर ऑफ द नीथ पूअर लॉ यूनियन (31) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि खानों और खनिजों के आरक्षण में ईंट की मिट्टी और मिट्टी शामिल थी, जो ऐसे पदार्थ थे जिन्हें लाभ के उद्देश्य से पृथ्वी की सतह के नीचे से प्राप्त किया जा सकता था।

(39) मिडलैंड रेलवे कंपनी बनाम हॉन्चवुड ब्रिक एंड टाइल कंपनी (13) में जहां मुकदमे का विषय ईंट बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी का बिस्तर था, उसे खानों और खनिजों के आरक्षण के दायरे में रखा गया था।

(40) तथापि, वह विनिश्चय, जो प्रत्यक्ष रूप से मामले को नियंत्रित करता है और जिसमें एक ही बिन्दु उत्पन्न हुआ था और जिसका विस्तार से प्रचार किया गया था और याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध उत्तर दिया गया था, वह लड्डु माई और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (32) में पटना उच्च न्यायालय की खंड पीठ का विनिश्चय है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ईंट मिट्टी एक खनिज है और लघु खनिज की परिभाषा में इसका समावेशन संविधान के अधिकार से बाहर नहीं है। हमारे समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से उद्धृत अधिकारियों सहित मामले के कानून के पूरे सरगम पर चर्चा करने के बाद जो पर्याप्त रूप से प्रतिष्ठित हैं

इसमें, पीठ ने अधिसूचना संख्या की संवैधानिकता पर सभी हमलों को खारिज कर दिया। G.S.R. 436, जिस पर हमारे सामने हमला किया जा रहा है और कहा गया है, "मेरा निष्कर्ष यह है कि ईंट-पृथ्वी एक खनिज है और 1957 के उस अधिनियम (खान और खनिज विनियमन और विकास) अधिनियम में दी गई 'मिनियन खनिजों' की परिभाषा में इसका समावेश संविधान, सातवीं अनुसूची के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है।

मैं और कुछ नहीं कहना चाहता कि मैं उपरोक्त मामले में प्रतिपादित सिद्धांत और तर्क से सहमत हूं।

(41) दो प्राधिकरण जिन पर याचिकाकर्ताओं की ओर से भारी निर्भरता रखने की मांग की गई थी, स्पष्ट रूप से अलग हैं। पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम जगदम्बा प्रसाद सिंह और अन्य, (33) एक बहुत ही संकीर्ण मुद्दे तक सीमित था जैसा कि पीठ ने स्वयं निम्नलिखित शब्दों में देखा थाः-"हालांकि, जैसा कि ऊपर कहा गया है, हम केवल एक बिंदु पर विचार करने के लिए आमंत्रित पक्षों की सहमति से हैं, अर्थात् कि क्या अनुसूची 1 में प्रासंगिक प्रविष्टि के साथ पढ़ा गया नियम 17 (I) (i) अधिकार से बाहर है या नहीं। यदि उसकी बात सफल होती है तो यह अपील सफल होगी, मैं, लेकिन सभी 1 अन्य बिंदुओं को खुला रखा जाएगा। अब हम इस बिंदु से निपटने के लिए आगे बढ़ते हैं।

स्वयं को उपरोक्त बिंदु तक सीमित रखते हुए उनके प्रभुओं का मानना था कि 'मिट्टी' शब्द 'पृथ्वी' के समान नहीं है और 'साधारण मिट्टी' 'साधारण पृथ्वी' के समान नहीं है। जाहिर है कि इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन जो समान रूप से स्पष्ट है वह यह है कि यह इस पीठ के सामने दूर का मुद्दा भी नहीं है। यह प्रश्न कि क्या ईंट मिट्टी एक खनिज है और क्या इसे जी. एस. आर. 436 अधिसूचना के आधार पर वैध रूप से एक लघु खनिज घोषित किया गया है, उपरोक्त कलकत्ता निर्णय में दूर से भी प्रचार, उत्तेजित या स्पष्ट नहीं किया गया था। मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से तर्क में कैसे सहायता कर सकता है।

(42) श्री मलिक ने बार-बार वारिंग बनाम बूथ क्रश्ड ग्रेवल कंपनी, लिमिटेड से कुछ समर्थन मांगा, (34). हालांकि, उस मामले से जो कुछ भी प्रतीत होता है वह यह है कि पक्षों के बीच निष्पादित एक विशेष उपकरण की भाषा का अर्थ, इसके निष्पादन की तारीख के विशेष संदर्भ के साथ, यह साक्ष्य पर माना गया था कि उसमें "खानों", "खनिजों" और "खनिज पदार्थों" के आरक्षण के लिए निहित शब्दों में रेत और बजरी शामिल नहीं थी। यह कि उपरोक्त निष्कर्ष मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों तक ही सीमित था, इस मामले में प्रतिपादित नियम से स्पष्ट है और मुख्य टिप्पणी में निम्नलिखित शब्दों में देखा गया हैः-"यह प्रश्न कि क्या दिया गया पदार्थ उस साधन के अर्थ के भीतर 'खनिज' है या नहीं जिसमें इसका उल्लेख किया गया है, तथ्य का प्रश्न है जिसे विशेष मामले की परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाना है।

(43) उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए मैं यह मानने में असमर्थ हूं कि कोई भी संवैधानिक अयोग्यता "ईंट मिट्टी" को "लघु खनिज" घोषित करने वाली विवादित अधिसूचना से जुड़ी है।

(44) याचिकाकर्ताओं की ओर से हमारे सामने अस्पष्ट रूप से दबाए गए तर्क के लिए केवल एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है, कि संसद केंद्र सरकार को लघु खनिजों को घोषित करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकती है और इस तरह का प्राधिकरण सत्ता के अत्यधिक प्रत्यायोजन के कारण खराब है।

(45) उपरोक्त विवाद के उत्तर में श्री जे. एन. कौशल, प्रत्यर्थियों की ओर से, पहले हरिशंकर बागला और दूसरे पर निर्भरता रखता है। (35). उस मामले में आवश्यक आपूर्ति (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, 1946 की धारा 3, जो केंद्र सरकार को एक कार्यकारी आदेश द्वारा किसी भी आवश्यक वस्तु में उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और व्यापार और वाणिज्य को विनियमित करने, प्रतिबंधित करने का प्रावधान करने के लिए अधिकृत करती है, को अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर अधिकार से बाहर करार दिया गया था। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4 पर भी इसी आधार पर हमला किया गया था क्योंकि इसने केंद्र सरकार को उपरोक्त शक्ति को केंद्र सरकार के अधीनस्थ अधिकारी या प्राधिकरण या राज्य सरकार या उसके अधीनस्थों को सौंपने का अधिकार दिया था। इस चुनौती को खारिज कर दिया गया और धारा 3 और 4 दोनों को वैध माना गया। यह पहले धारा 3 के संबंध में निम्नलिखित रूप में देखा गया था; ऊपर कहा गयाः -

"जैसा कि पहले ही बताया गया है, प्रस्तावना और धाराओं का निकाय पर्याप्त रूप से विधायी नीति तैयार करता है और अधिनियम का दायरा और चरित्र ऐसा है कि उस नीति के विवरण को केवल उस नीति के ढांचे के भीतर एक अधीनस्थ प्राधिकरण को सौंपकर ही तैयार किया जा सकता है।

इसी प्रकार धारा 4 की शक्तियों को बरकरार रखते हुए, जो प्रतिनिधि को अपने अधीनस्थों को अपनी शक्ति सौंपने के लिए प्राधिकृत करती है, उच्चतम न्यायालय ने शैनन बनाम लोअर मेनलैंड डेयरी उत्पाद बोर्ड, (36) में प्रिवी काउंसिल की टिप्पणियों को अनुमोदनपूर्वक संदर्भित किया। - तीसरी आपत्ति यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को तथाकथित विधायी शक्तियां सौंपना प्रांतीय विधानमंडल की शक्तियों के भीतर नहीं है। परिषद में राज्यपाल, या उन्हें आगे प्रतिनिधिमंडल की शक्तियाँ देना। यह आपत्ति उनके प्रभुओं को उन अधिकारों के प्रतिकूल प्रतीत होती है जो प्रांतीय विधानमंडल को उन विषयों के वर्गों के भीतर आने वाले मामलों से निपटने के दौरान प्राप्त होते हैं जिनके संबंध में संविधान ने विधायी शक्तियां प्रदान की हैं।

उपरोक्त अवलोकन, मेरे विचार में, वर्तमान स्थिति पर समान रूप से अच्छी तरह से लागू होते हैं। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की प्रस्तावना और तैंतीस धाराओं और अनुसूची में दिए गए विस्तृत प्रावधानों के संदर्भ में कोई संदेह नहीं है कि विधायिका ने सिद्धांत, नीति, परिधि और कानून के दायरे को निर्धारित किया है। यह तर्क देना बेकार है कि अधिनियम की धारा 3 (ई) में परिकल्पित "लघु खनिज" के रूप में किसी पदार्थ की मात्र घोषणा में सिद्धांत या ऐसी उच्च विधायी नीति शामिल है जिसे संसद द्वारा केंद्र सरकार को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। रिलायंस को फिर से पंडित बनारसी दास भनोट और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य पर रखा गया था, (37) जिसमें C.P. की धारा 6 (1) के अधिकार थे। और बरार बिक्री कर अधिनियम, 1947 को अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर चुनौती दी गई थी। विवादित प्रावधान ने राज्य सरकार को एक अधिसूचना जारी करके कानून की अनुसूची में संशोधन करने का अधिकार दिया। अधिनियम की शक्तियों को बनाए रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ऐसा प्रतिनिधि मंडल जो राज्य सरकार को उन व्यक्तियों के चयन को निर्धारित करने के लिए अधिकृत करता है जिन पर कर लगाया जाना है, जिन दरों पर इसे लगाया जाना है और विभिन्न वर्गों के सामान जो इसके दायरे में आएंगे, पूरी तरह से मान्य थे। भले ही उपरोक्त टिप्पणियों में कहा गया है कि पंडित बनारसी दास भनोट के मामले (37) को संकीर्ण रूप से समझा जाता है जैसा कि बाद के अधिकारियों में सुझाव दिया गया है, वे वर्तमान मामले को पूरी तरह से कवर करते हैं।

(46) अंत में श्री कौशल अधिनियम की धारा 28 (1) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए D.S.Gar । बनाम पंजाब राज्य और दूसरे पर भारी निर्भरता रखते हैं, जो निम्नलिखित शर्तों में हैः-"संसद के समक्ष निर्धारित किए जाने वाले नियम और अधिसूचनाएं और संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले कुछ नियम-(1) इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियम और अधिसूचनाएं संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कम से कम तीस दिनों के लिए जितनी जल्दी हो सके रखी जाएंगी।

'इस प्रावधान के आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि विवादित अधिसूचना और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा गया है। इस संदर्भ में D.S. में निम्नलिखित अवलोकन। ग्रेवाल के मामले (38) पर सही मायने में भरोसा किया जाता है।

"साथ ही संसद ने इस बात का ध्यान रखा कि इन नियमों को लागू होने से पहले चौदह दिनों के लिए संसद के पटल पर रखा गया था और वे संशोधन के अधीन थे, चाहे संसद द्वारा किए गए प्रस्ताव पर निरसन या संशोधन के माध्यम से। यह पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि संसद ने किसी भी तरह से अपने अधिकार का त्याग नहीं किया है।

लेकिन अपने प्रतिनिधि पर कड़ी निगरानी और नियंत्रण रख रहा है। इसलिए, अधिनियम की धारा 3 के साथ धारा 4 को पढ़कर इस मामले की विशेष परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 3 द्वारा केंद्र सरकार को अत्यधिक प्रत्यायोजन किया गया था(1). इसलिए, हमारी राय है कि अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर अधिनियम को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से उपरोक्त कानूनी स्थिति को गंभीरता से विवादित नहीं किया जा सकता था और इसके विपरीत किसी भी अधिकार का हवाला नहीं दिया गया था। इसलिए मेरा विचार है कि धारा 3 (ई) और उसके तहत जारी की गई आक्षेपित अधिसूचना अत्यधिक प्रत्यायोजन के किसी भी दोष से ग्रस्त नहीं है।

(47)मैंने विवादित प्रावधानों पर बहुआयामी हमले पर विस्तार से ध्यान देना और उन्हें पीछे हटाना आवश्यक समझा है। हालांकि, विभिन्न प्रकार के तर्कों और मामले की सुनवाई करने वाले कानून को हमें केंद्रीय मुद्दे से विचलित नहीं करना चाहिए-क्या संसद ने अधिनियम की धारा 3 (ई) को लागू करने में "खनिज" शब्द की कानूनी स्वीकृति को इसके बड़े अर्थ में अपनाने में अपनी शक्ति की सीमा को पार कर दिया है? क्या संसद द्वारा उपरोक्त खंड में पदार्थों को "लघु खनिज" के रूप में घोषित करना या इसके प्रतिनिधि द्वारा विवादित अधिसूचना के आधार पर ईंट-मिट्टी की घोषणा करना असंवैधानिक है?

(48) उपरोक्त प्रश्न का उत्तर देते समय सबसे पहले यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संवैधानिकता का अनुमान संसदीय विधान से जुड़ा हुआ है। भारी भार उस पार्टी पर है जो यह दिखाने के लिए अपनी वैधता का दावा करती है कि यह असंवैधानिक है। इस प्राथमिक प्रस्ताव के लिए किसी प्राधिकरण को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं है। अब "खनिज" शब्द परिभाषा और न्यायिक राय की अवहेलना करता है सर्वसम्मति के साथ एक लचीली परिभाषा का प्रयास करने के फिसलन भरे आधार पर चलने से इनकार कर दिया। मैं ऐसा करने की कोशिश करने में भी इतनी जल्दबाजी नहीं करूंगा। यह शब्द विस्तार या सीमा के लिए अतिसंवेदनशील है और विभिन्न अर्थों को स्वीकार करता है। जहाँ तक न्यायिक उदाहरण का संबंध है, इसने हमेशा एक सदी से अधिक समय तक इस शब्द के व्यापक अर्थ को स्वीकार किया था। "इसलिए, मेरी राय में, संसद को अधिकार था और वास्तव में इस शब्द का उपयोग इसके व्यापक अर्थ में किया गया था। यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसके अर्थ के किसी भी संकुचन का इरादा था, दूसरी ओर सब कुछ इसके विपरीत इंगित करता है। यह इस विषय पर पूर्ववर्ती और समान कानूनों के सरसरी संदर्भ पर भी स्पष्ट है। इससे पहले के केंद्रीय और संसदीय विधान से पता चलता है कि खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में वैधानिक पुस्तक में लाए जाने से पहले ही "खान और खनिज" शब्दों का व्यापक अर्थ में उपयोग किया जा चुका था। इस संदर्भ में भारतीय खान अधिनियम, 1923 की धारा 3 (च) में "खान" शब्द की परिभाषा का संदर्भ दिया जा सकता हैः - "खान" से ऐसी कोई खुदाई अभिप्रेत है जहां खनिजों की खोज करने या प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई कार्य किया गया है या किया जा रहा है, और इसमें

सभी कार्य, मशीनरी, ट्रामवे और साइडिंग शामिल हैं, चाहे वे जमीन के ऊपर या नीचे, किसी खदान में या उससे सटे या उससे संबंधित हों।

प्रदान किया गया

भारतीय खान अधिनियम, 1952, जिसने 1923 के अधिनियम को निरस्त और प्रतिस्थापित किया, ने अपने उपखंडों के साथ धारा 2 (जे) में "खान" शब्द को और भी अधिक विस्तारित अर्थ दिया। केशरदेव गोयनका और अन्य बनाम सम्राट (39) मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने "माइन" शब्द का अर्थ लगाते हुए और प्रमुख अंग्रेजी अधिकारियों का संदर्भ देते हुए, जिन्हें पहले ही संदर्भित किया जा चुका है, निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः- "माइन" शब्द एक निश्चित शब्द नहीं है, लेकिन उस इरादे के अनुसार सीमा या विस्तार के लिए अतिसंवेदनशील है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है और इसके प्राथमिक अर्थ को हमेशा से बढ़ाया जा सकता है यदि यह अनुबंध करने वाले पक्षों या विधायिका का इरादा है।

(49)पंजाब खान और खनिज नियमों में, "खनिज" शब्द के विस्तारित अर्थ में निम्नलिखित परिभाषा दी गई थीः- "खनिजों" में सभी कांकेर (चूने के कैल्शियस कार्बोनेट) पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, अग्नि-मिट्टी, चीन-मिट्टी, चूने-पत्थर, स्लेट, बोल्डर, शिंगल, बजरी, रोरी और बजरी शामिल हैं, लेकिन इसमें कोयला, धातु के अयस्क, मिट्टी का तेल, गोह और नमक और सभी खनिज शामिल नहीं हैं, जिनका निष्कर्षण पंजाब खनन नियमावली द्वारा नियंत्रित किया जाता है; और इसमें किसी भी क्षेत्र या इलाके की रेत भी शामिल है जिसे स्थानीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है; खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948, वर्तमान क़ानून का तत्काल पूर्ववर्ती है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह अधिनियम प्रविष्टि सं. 36 भारत सरकार अधिनियम, 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची। में, जो निम्नलिखित शब्दों में हैः-"खानों और तेल क्षेत्रों और खनिज विकास का विनियमन उस सीमा तक जिसके लिए डोमिनियन नियंत्रण के तहत इस तरह के विनियमन और विकास को डोमिनियन कानून द्वारा सार्वजनिक हित में अनिवार्य घोषित किया गया है।

उपर्युक्त उद्धृत प्रावधान प्रविष्टि सं. भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 का 54, जिसके अधीन आक्षेपित विधान अधिनियमित किया गया है।

(50) 1948 के अधिनियम में भी "खानों और खनिजों" शब्दों की कोई अंतःपरिभाषित परिभाषा देने का प्रयास नहीं किया गया था और यह कि एक विस्तारित अर्थ अभिप्रेत था, इसकी धारा 3 (ख) और (ग) से स्पष्ट है।

3 (ख) 'खान' से खनिज पदार्थों की खोज या प्राप्ति के उद्देश्य से कोई खुदाई अभिप्रेत है और इसमें एक तेल-कुआँ भी सम्मिलित है। "3 (ग) 'खनिजों' में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम शामिल हैं। अधिनियम की धारा 5,6 और 7 ने केंद्र सरकार को खानों और खनिजों के विनियमन और विकास के उद्देश्य से विभिन्न मामलों से संबंधित अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए व्यापक और व्यापक शक्तियां दीं। धारा 10 निम्नलिखित रूप में प्रदान की गई हैः —

"10. विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने वाले नियम।

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत बनाए गए सभी नियमों को बनाए जाने के बाद जल्द से जल्द लोकसभा के समक्ष रखा जाएगा।

प्रासंगिक नियमों को तैयार करने के लिए अधिनियम द्वारा दी गई शक्तियों के अनुसरण में खनिज रियायत नियम, 1949 को उपर्युक्त धारा 10 के प्रावधानों के अनुपालन के बाद विधिवत रूप से तैयार और प्रख्यापित किया गया था। यह निर्विवाद है कि ये नियम 1960 के नियमों द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक कानून की पुस्तक में बिना किसी चुनौती के बने रहे हैं। 1949 के नियमों का नियम 3 (ii) इस प्रकार थाः-"3 (ii) लघु खनिज" का अर्थ है निर्माण सामग्री के लिए उपयोग किए जाने पर पत्थर, बोल्डर, शिंगल, बजरी, लाइमशेल, कंकड़ और चूने को जलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला चूना पत्थर, मुर्रम, ईंट-पृथ्वी, फुलर मिट्टी, बेंटोनाइट, साधारण मिट्टी, साधारण रेत, सड़क धातु, रेहमती, स्लेट और शेल।

उपर्युक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1949 के बाद से निर्माण पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी, साधारण रेत और ईंट-मिट्टी के अलावा अन्य चीजें मौजूदा क़ानून और उसके तहत वैध रूप से बनाए गए नियमों के तहत "लघु खनिजों" के दायरे में थीं।

(51) फिर वर्तमान खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 आया, जिसे सूची। की प्रविष्टियों 53 और 54 में पेट्रोलियम और अन्य खनिजों में किए गए भेदभाव को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था। इस स्तर पर यह ध्यान देने योग्य है कि यह कानून 1948 के पूर्ववर्ती अधिनियम को निरस्त नहीं करता है, बल्कि केवल खनिजों से संबंधित है, जबकि इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची के साथ पठित धारा 32 द्वारा किए गए संशोधनों के आधार पर 1948 अधिनियम द्वारा खनिज तेलों से संबंधित कार्य जारी है। वर्तमान अधिनियम ने धारा 3 (ए) में खनिजों की किसी भी परिभाषा का प्रयास नहीं किया है जो निम्नलिखित शब्दों में है-"3 (ए) 'खनिजों' में खनिज तेलों को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं"।

पत्थर, बजरी, साधारण मिट्टी और साधारण रेत को "लघु खनिज" घोषित करते हुए वर्तमान अधिनियम की धारा 3 (ई) को अधिनियमित करने में, संसद इस विषय पर पहले के विधान को उस स्वीकृत अर्थ के साथ जारी रखने के अलावा और कुछ नहीं कर रही थी, जिससे 'लघु खनिजों' में पहले से ही ये पदार्थ शामिल थे। समान रूप से महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि धारा 29 ने मौजूदा नियमों को जारी रखा (i.e. खनिज रियायत नियम, 1949 सहित) और निम्नलिखित शर्तों में है:-'मौजूदा नियम जारी रहेंगे।खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) के अधीन बनाए गए या बनाए जाने का तात्पर्य रखने वाले सभी नियम, जहां तक वे उन मामलों से संबंधित हैं जिनके लिए इस अधिनियम में उपबंध किए गए हैं और उनसे असंगत नहीं हैं, यह समझा जाएगा कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए हैं, जैसे कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जिस दिन ऐसे नियम बनाए गए थे और तब तक लागू रहेंगे जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किए जाते।

उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो स्थिति सामने आती है वह यह है कि पहले के नियमों के आधार पर 1957 के अधिनियम के अधिनियमन के बाद, ईंट-पृथ्वी विशेष रूप से एक छोटे खनिज के दायरे में थी और 1 जून, 1958 तक बनी रही। जब उस तारीख को विवादित अधिसूचना जारी की गई थी, तो इसने केवल खनिज रियायत नियम 1949 के नियम 3 (ii) के आधार पर "लघु खनिजों" के दायरे में पहले से मौजूद चीजों को अपनाया और जारी रखा। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 1957 के अधिनियम में "खनिज" और "लघु खनिज" शब्दों का उपयोग करते समय, संसद केवल ज्ञात शब्दावली का उपयोग कर रही थी जो इस विषय पर पिछले विधान में बार-बार उपयोग की गई थी। यह निर्माण का एक सुव्यवस्थित नियम है कि जब विधायिका किसी ऐसे शब्द का उपयोग करती है जो पूर्ववर्ती विधान में पहले प्रयोग किया गया है और जिसका अर्थ लगाया गया है, तो वह अपने पूर्ववर्ती अर्थ से अच्छी तरह वाकिफ है और ऐसे शब्द या शब्दों का उपयोग बाद के क़ानून में उसी अर्थ और अर्थ में किया गया माना जाना चाहिए। निस्संदेह पूर्ववर्ती 1948 अधिनियम (और 1923 और 1952 के खान अधिनियम भी) और उसके अधीन बनाए गए वैधानिक नियम, अर्थात् 1949 के लघु खनिज रियायत नियमों ने अपने सबसे बड़े अर्थ में "खनिज" शब्द का उपयोग किया था और उसे समझा था। ईंट-मिट्टी के अलावा स्पष्ट रूप से पत्थर, बजरी, साधारण रेत और साधारण मिट्टी के निर्माण को 1949 के नियमों के नियम 3 (ii) के आधार पर लघु खनिजों के दायरे में अच्छी तरह से माना गया था। संसद ने 1957 के अधिनियम में "खनिज" शब्द की कोई व्यापक परिभाषा नहीं दी थी। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसके बड़े आयात के किसी भी निर्माण का इरादा था। इस प्रकार संसद ने 1957 के अधिनियम को लागू करते हुए स्पष्ट रूप से जारी रखा और अपनी पहले की कानूनी स्वीकृति में "खनिज" शब्द के अर्थ को अपनाया। यह इस संदर्भ में है कि लड्डु माई और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, (32) में डिवीजन बेंच की निम्नलिखित टिप्पणियों को सीधे तौर पर याद किया जाना चाहिए: संविधान की सातवीं अनुसूची में दो सूचियों में दो प्रासंगिक मदों ने किसी भी खनिज को विधानमंडलों की विधायी क्षमता से बाहर नहीं रखा है। यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि 1950 में जब संविधान बनाया गया था, उस समय विधायी क्षेत्र में ईंट-मिट्टी को खनिज नहीं माना जाता था। खनिज रियायत नियम, 1949 में लघु खनिजों की परिभाषा में ईंट-मिट्टी शामिल थी। संविधान

निर्माताओं को उस कानूनी अवधारणा के बारे में पता होना चाहिए था, जब उन्होंने सातवीं अनुसूची की सूचियों में 'खनिजों' का उल्लेख किया था।

फिर भी हमारे देश में वैधानिक नियम में ईंट-पृथ्वी को शामिल करने से यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं और विधायकों ने उस अर्थ में अभिव्यक्ति को समझा और उसका उपयोग किया।

अंतिम विश्लेषण में, इसलिए, मेरा विचार है कि असंवैधानिकता का कोई भी दाग अधिनियम की धारा 3 (ई) या आक्षेपित अधिसूचना G.S.R से जुड़ा नहीं है। 436 में अब तक इसने "ईंट-पृथ्वी" को "लघु खनिज" घोषित किया है।

(52) याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वकील फिर से एक कठोर आधार पर है जब वह तर्क देता है कि अधिनियम की धारा 14 के कारण, राज्य सरकार "लघु खनिजों" के संबंध में रॉयल्टी लगाने और उसके संबंध में नियम बनाने से वंचित है। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि धारा 9 के प्रावधानों को "लघु खनिजों" के संदर्भ में लागू नहीं किया गया है, इसलिए कोई रॉयल्टी नहीं लगाई जा सकती है। उपर्युक्त विवाद धारा 14 के प्रावधानों के बारे में कुछ गलतफहमी से उत्पन्न होता प्रतीत होता है जब इसे अलग से पढ़ा जाता है। जाहिर है कि अधिनियम की धारा 14 और 15 को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए और ये प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में हैंः —

"एस. 14. धारा 4 से 13 लघु खनिजों पर लागू नहीं होगी।

धारा 4 से 13 (समावेशी) के प्रावधान लघु खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों पर लागू नहीं होंगे।

एस. 15. लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने की राज्य सरकारों की शक्ति।—(1) राज्य सरकार द्वारा, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना, लघु खनिजों के संबंध में और उनसे जुड़े उद्देश्यों के लिए पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने के लिए नियम बनाएँ; (2) जब तक कि लघु खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टों के अनुदान को विनियमित करने वाले राज्य सरकार द्वारा नियम नहीं बनाए जाते हैं, जो इस अधिनियम के प्रारंभ से तुरंत पहले लागू हैं, तब तक लागू रहेंगे।

उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से अधिनियम की योजना स्पष्ट हो जाती है जो यह उपबंध करती प्रतीत होती है कि खनिजों के संबंध में पूर्वेक्षण लाइसेंस और खनन पट्टे अधिनियम के प्रावधानों और केंद्र सरकार द्वारा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे। जहां तक "लघु-खनिजों" का संबंध है, उनके संबंध में नियम बनाने की व्यापक शक्ति राज्य सरकार को सौंपी गई है और इसमें स्पष्ट रूप से संभावित लाइसेंसों और उनके दोहन के लिए दिए गए खनन पट्टों के संबंध में रॉयल्टी की वसूली शामिल होगी। हमारे सामने उठाए गए समान तर्क को लड्डु माई के मामले में निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया था (32) -अगर संसद ने चाहा होता

वास्तव में छोटे खनिजों को रॉयल्टी के भुगतान से बाहर करने के लिए, इसे धारा 9 में व्यक्त किया गया होगा, जो विशेष रूप से सभी खनिजों पर रॉयल्टी के भुगतान का प्रावधान करता है। लघु खनिजों के संबंध में धारा 14 में उल्लिखित धारा 4 से 13 का अपवर्जन लघु खनिजों के संबंध में राज्य सरकार को उन धाराओं के अंतर्गत आने वाली सभी शक्तियां प्रदान करने के एकमात्र उद्देश्यों के लिए प्रतीत होता है।

उपरोक्त टिप्पणियों को डॉ. शांति सरूप और एक अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है, (40).

(53)हालाँकि, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विवादित प्रावधानों की शक्तियों और रॉयल्टी लगाने की शक्ति के प्रमाण पर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील, हालांकि, एक अन्य बिंदु पर दृढ़ और अनुपलब्ध आधार पर प्रतीत होते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उनके पास न तो प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस है और न ही वे खनन लाइसेंसधारी हैं या "लघु खनिजों" के दोहन के उद्देश्यों के लिए अल्पकालिक परमिट के धारक हैं। यह तर्क

दिया जाता है कि पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के जेड नियम 20 के तहत रॉयल्टी केवल खनन पट्टे के संबंध में लगाई जा सकती है। सार में तर्क यह है कि जब तक याचिकाकर्ताओं और राज्य सरकार के बीच कोई स्थायी अनुबंध नहीं है, नियमों के तहत रॉयल्टी वसूलने का कोई सवाल ही नहीं उठ सकता है। इस संबंध में नियम 28,37 और 44 का संदर्भ दिया गया है जो नीलामी या निविदा द्वारा अनुबंध के अनुदान को विनियमित करता है या खनन पट्टे की शर्तों और अल्पकालिक परमिट के अनुदान के लिए प्रावधान करता है। यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने उपरोक्त प्रकृति के किसी भी अनुबंध या समझौते को निष्पादित नहीं किया है, इसलिए वे किसी भी रॉयल्टी के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

(54) निष्पक्षता को निरस्त्र करने के साथ श्री J.N. प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से कौशल स्वीकार करते हैं कि उनके पास याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए इस तर्क का कोई जवाब नहीं है। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्थियों और याचिकाकर्ताओं में से किसी के बीच कोई समझौता या अनुबंध नहीं है। यह कानूनी स्थिति कि जब तक ऐसा कोई स्थायी अनुबंध नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं लगाई जा सकती है, राज्य की ओर से विवादित नहीं है। नतीजतन श्री कौशल ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि वर्तमान दो मामलों में, वह रॉयल्टी की वसूली और इसकी वसूली के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जारी किए गए नोटिसों की वैधता का समर्थन नहीं कर सकते हैं। संदर्भ में यह कहा गया है कि इस बिंदु पर दोनों याचिकाएं सफल होने की हकदार हैं। उपर्युक्त रियायत को ध्यान में रखते हुए इन दोनों याचिकाओं को इस संकीर्ण बिंदु पर सफल होना चाहिए और इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। वसूली और रॉयल्टी की वसूली के लिए विवादित नोटिसों को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। हालांकि, निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले जटिल और कठिन प्रश्न को देखते हुए, मैं लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दूंगा।

(55) मामले से अलग होने से पहले इस मामले में उत्पन्न होने वाले दो समान रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों का विज्ञापन करना आवश्यक है, जिन्हें बार-बार हमारे सामने दबाया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से एक लगातार मांग की गई थी कि पीठ को उन तीन गांवों के वाजिब-उल-अर्ज पर विचार करना चाहिए जिनसे ये याचिकाएं संबंधित हैं और केवल उनके आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि इन संपदाओं में "लघु खनिज" राज्य में निहित हैं या नहीं। श्री J.N. हालाँकि, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से कौशल को केवल वजीब-उल-अर्ज के साक्ष्य के आधार पर नहीं रखा जा सकता है और यह दूसरे पक्ष के पक्ष में उत्पन्न होने वाली धारणा, यदि कोई हो, का खंडन करने के लिए साक्ष्य का नेतृत्व करेगा। भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 42 (3) के आधार पर यह उचित रूप से प्रतिवाद किया गया था कि उपखंड (2) के अधीन अधिकारों के अभिलेख द्वारा सृजित अनुमान एक खंडन योग्य है और उपखंड (3) स्वयं इसका खंडन करने के लिए विधि का उपबंध करता है। विद्वान वकील ने संपत्ति में "छोटे खनिजों" के दावे और याचिकाकर्ताओं के अधिकार पर गर्मजोशी से विवाद किया। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त रियायत सूचना के बाद-मुद्दा अब मुद्दे में नहीं था और विद्वान वकील ने उसी पर बहस नहीं की।

(56) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षों द्वारा ली गई स्थिति स्वामित्व और "लघु खनिजों" के दावे के संबंध में तथ्यों पर एक जटिल विवाद का खुलासा करती है और पहले से ही ऊपर देखी गई रियायत को देखते हुए, मुद्दा मुश्किल से मुद्दा है और इसलिए भी कि हमें प्रतिवादी की ओर से तर्क का लाभ नहीं है, मुझे नहीं लगता कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए इस विवाद पर उच्चारण करने के लिए कहा गया है। उपरोक्त संदर्भ में, एक और तर्क श्री R.N द्वारा जोरदार रूप से दबाया गया। याचिकाकर्ताओं की ओर से मित्तल का कहना है कि यदि हम अंतिम रूप से यह निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझते हैं कि "लघु खनिज" किसके पास निहित हैं, तो कम से कम याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक रिट जारी की जाए, जिसमें प्रतिवादियों को इन संपदाओं में "लघु खनिजों" में हस्तक्षेप करने से प्रतिबंधित किया जाए और राज्य को निर्देश दिया जाए कि वे सिविल कोर्ट में "लघु खनिजों" पर अपना दावा स्थापित करें और अपने पक्ष में अपना फैसला सुरक्षित करें। इस विवाद के लिए भरोसा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत कीरतपुर बनाम पंजाब राज्य (41) पर रखा गया है, जो जे. तुली द्वारा तय किया गया था, जिसमें प्रकृति का एक निर्देश जारी किया गया था जिसके लिए प्रार्थना की गई थी।

(57) मैं इस असामान्य प्रार्थना की सराहना करने में असमर्थ हूं कि एक रिट प्रथम दृष्टया सिविल कोर्ट या बाद में गुणदोष पर अन्य उचित मंच के निर्णय के अधीन जारी कर सकती है। "लघु खनिजों" के अधिकार का दावा और जिस साक्ष्य पर यह आधारित है, वह उत्तरदाताओं की ओर से स्पष्ट रूप से विरोधाभासी है, न केवल यह कि वे प्रमुख साक्ष्य द्वारा इसका खंडन करना चाहते थे। इस प्रकार तथ्यों पर स्पष्ट विवाद है। मुझे यह स्वयंसिद्ध प्रतीत होता है कि रिट न्यायालय की असाधारण अधिकारिता का प्रयोग आम तौर पर वहां किया जाता है जहां बुनियादी तथ्य विवाद में नहीं होते हैं। यह बार-बार अभिनिर्धारित किया गया है कि एक ऐसा मामला जिसमें तथ्यों के विवादित प्रश्न की एक जटिल जांच शामिल है, जिसे केवल साक्ष्य प्रस्तुत करके और उसके गहन अवलोकन द्वारा हल किया जा सकता है, वह ऐसा मामला है जिसमें रिट न्यायालय अपने हाथों को रोक सकता है और पक्षों को उनके सामान्य कानूनी उपायों के लिए छोड़ सकता है। समान रूप से यह तय किया गया है कि कोई क्षेत्राधिकार प्रतिबंध नहीं है और एक उपयुक्त मामले में उच्च न्यायालय स्वयं साक्ष्य की जांच कर सकता है और एक रिट जारी करने के उद्देश्य से तथ्यों के विवादित प्रश्न का निर्धारण कर सकता है। हालाँकि, जो प्राथमिक प्रतीत होता है वह यह है कि जहाँ तथ्यों पर विवाद उत्पन्न होता है, उसे रिट मुद्दों से पहले निर्धारित किया जाना चाहिए। मुझे यह असामान्य लगता है कि इस न्यायालय को पहले उन तथ्यों का निर्धारण किए बिना प्रथम दृष्टया एक रिट देने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, जिन पर पक्षकार मुद्दे पर हैं और तथ्यों के उन विवादित प्रश्न के निर्धारण के बाद योग्यता पर निर्णय के बाद एक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अधीन होना चाहिए। इस तथ्य के अलावा कि इस तरह का पाठ्यक्रम उचित नहीं लगता है, मेरा ध्यान किसी भी बाध्यकारी मिसाल की ओर नहीं खींचा गया है जो ऐसी प्रक्रिया की गारंटी देगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से जिस प्राधिकारी पर भरोसा किया गया है, उसमें तीन निर्णयों पर भरोसा करने की मांग की गई है, जिनका संदर्भ आगे दिया गया है। हालाँकि, इन अधिकारियों के अवलोकन पर। याचिकाकर्ताओं की ओर से बार-बार मांगी गई विशिष्ट राहत के लिए मैं उनमें कोई आधार नहीं पा रहा हूं। यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ. शांति सरूप शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य में (40) रिट याचिकाओं को बिना किसी निर्देश के पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। यह इस प्रकार देखा गयाः-"याचिकाकर्ताओं द्वारा कब्जा की गई भूमि में लघु खनिजों के स्वामित्व अधिकारों के संबंध में प्रश्न तथ्य का एक विवादित प्रश्न है। इस तथ्य के अलावा कि हमें उस प्रश्न का निर्णय करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री हमारे सामने नहीं रखी गई है, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसे प्रश्नों में जाने के लिए उचित मंच नहीं है।

इसी प्रकार, खुशाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य में, (42). पीठ ने निम्नलिखित रूप में निर्धारित कियाः "(iii) कि इस या किसी अन्य वजाब-उल-अर्ज या अन्य राजस्व अभिलेख या स्वामित्व के किसी विवादित प्रश्न की शुद्धता या अन्यथा के बारे में पक्षों के बीच किसी भी विवाद का निर्धारण पीड़ित पक्ष द्वारा एक सामान्य नागरिक या राजस्व न्यायालय में उचित कार्रवाई में किया जाना चाहिए, जैसा भी मामला हो, और इनमें से किसी भी बात का निर्णय हमारे रिट अधिकार क्षेत्र में नहीं किया जा सकता है।

पंजाब और हरियाणा शोरा फैक्टरी, गोहाना बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (43) में दोनों रिट याचिकाओं को प्रारंभिक आपत्ति पर उसके गुणागुण निर्धारित किए बिना खारिज कर दिया गया था। इसलिए, उपरोक्त प्राधिकरणों में से कोई भी इस तर्क के लिए वारंट नहीं है कि हस्तक्षेप करने के लिए निषेध का एक रिट इस निर्देश के साथ जारी किया जा सकता है कि पक्षों में से एक को उचित मंच पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहिए। विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है कि इस तरह के पाठ्यक्रम को कुछ अन्य एकल पीठों द्वारा अपनाया गया था, हालांकि उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया था। हमने याचिकाकर्ता के वकील श्री आर. एन. मित्तल से स्पष्ट रूप से पूछा था, लेकिन वह किसी अन्य निर्णय को हमारे संज्ञान में लाने में असमर्थ थे। न्यायाधीश तुली को सबसे बड़े सम्मान के साथ, यदि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, कीरतपुर के मामले (41) में निर्णय यह निर्धारित करना चाहता है कि तथ्यों के विवादित प्रश्नों को हल किए बिना एक रिट जारी की जा सकती है और सिविल कोर्ट द्वारा गुण-दोष पर बाद के निर्णय के अधीन है, तो मैं सम्मानपूर्वक उस दृष्टिकोण से भिन्न होने का अनुरोध करूंगा। न ही मुझे लगता है कि यह रिट क्षेत्राधिकार के न्यायालय का प्रांत है जो उसके समक्ष वादियों को सलाह देता है या

निर्देश देता है कि उनमें से किसे पहले सिविल न्यायालय में जाना चाहिए या उनमें से कोई भी कानूनी उपचार का तरीका या तरीका अपना सकता है।

डी. के. महाजन, जे.

(58) मैंने अपने विद्वान भाई जे. संधवालिया द्वारा तैयार किए गए निर्णय का अध्ययन किया है। मैं सहमत हूँ। अंतिम निष्कर्ष में, लेकिन मैं उनके इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं कि ईंट की मिट्टी एक खनिज है।

(59) विशेषज्ञों के साक्ष्य स्पष्ट हैं। आर. डब्ल्यू. 1 श्री इंदु मोहन आगा ने कहाः-"खनिज, आम तौर पर, एक अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें एक निश्चित रासायनिक संरचना या रासायनिक संरचना की सीमा होती है और कुछ मापने योग्य भौतिक गुण भी होते हैं।

पृथ्वी कोई खनिज नहीं है। यह खनिजों का समुच्चय है। अगर पृथ्वी एक खनिज होती, तो हर जगह इसकी स्थिरता समान होती, लेकिन ऐसा नहीं है। पृथ्वी की स्थिरता स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। पृथ्वी चट्टानों का एक विघटित उत्पाद है

ईंट की मिट्टी और ईंट की मिट्टी एक पर्यायवाची शब्द है। वे मोटे तौर पर समानार्थी हैं। ईंटों की मिट्टी खनिजों का एक समूह है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि ईंट की मिट्टी एक खनिज है

सवाल -क्या यह सही है कि रासायनिक यौगिक के गुण कभी भी भिन्न नहीं हो सकते हैं?

जवाब-हां।

सवाल -एक रासायनिक यौगिक में निश्चित भौतिक गुण होने चाहिए जैसे गलनांक, क्वथनांक, हिमांक बिंदु, घनत्व विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण, परावर्तक सूचकांक, प्रति 100 ग्राम जल अवशोषण, और इसके घटक तत्व दुनिया भर में निश्चित और निश्चित गुणों में हैं। इसका कई प्रकार का क्रिस्टलीय रूप होना चाहिए। आपको क्या कहना है?

जवाब-हां, यह सच है। ईंट की मिट्टी का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण पूरे समय समान नहीं होगा। यह बदल जाएगा। ईंट-पृथ्वी का कोई परावर्तक सूचकांक नहीं होता है। ईंटों की मिट्टी का कोई क्रिस्टल रूप नहीं होता है।

(60)याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए अगले विशेषज्ञ, पी. प्रोफेसर ए. जी. झिंगरान ने कहाः-

"पृथ्वी अपने आप में खनिज नहीं है। खनिज एक निश्चित रासायनिक संरचना वाला एक अकार्बनिक पदार्थ है, जो कभी-कभी एक निश्चित सीमा के भीतर परिवर्तनशील होता है। इसमें निश्चित भौतिक गुण और आंतरिक संरचना होती है जो एक्स-रे के माध्यम से प्रकट होती है। आम तौर पर जिस मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, उसे खनिज नहीं कहा जा सकता है। इसे खनिज नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसकी कोई निश्चित रासायनिक संरचना नहीं है।"

(61) इस प्रकार यह प्रतीत होगा कि ईंट-पृथ्वी के विशेषज्ञों के अनुसार यह खनिजों का एक समुच्चय है। एक खनिज की एक विशिष्ट विशेषता होती है जो एक खनिज को दूसरे से अलग करती है। इस संबंध में थोर्प का डिक्शनरी ऑफ एप्लाइड केमिस्ट्री (चौथा संस्करण) खंड VIII देखें, जहां पृष्ठ 143 पर यह इस प्रकार कहा गया हैः-"कोई भी दो पदार्थ एक ही क्रिस्टल संरचना नहीं रखते हैं, ताकि किसी दिए गए खनिज के पैटर्न की इकाई की एक मात्रात्मक परिभाषा उस खनिज के लिए अद्वितीय हो। इसलिए यह उम्मीद की जानी चाहिए कि विवर्तन स्पेक्ट्रा के फोटोग्राफिक रिकॉर्ड जिन पर एक्स-रे विश्लेषण आधारित है, वे स्वयं सटीक पहचान का गठन करते हैं। इकाई-कोशिका आयाम नैदानिक होते हैं, और एक ज्ञात अक्ष के बारे में एक ज्ञात खनिज के क्रिस्टल की एक घूर्णन तस्वीर अलग-अलग तीव्रता के धब्बों की एक द्वि-आयामी सरणी देती है, जिससे पहचान के लिए एक मानक बनता है।

ईंटें मिट्टी से बनाई जाती हैं जिसमें मिट्टी का अनुपात अधिक होता है। मिट्टी की संरचना स्थान-स्थान पर भिन्न होती है। यही कारण है कि यह उचित रूप से कहा गया है कि यह एक समग्र सी. एफ. खनिज है। लेकिन फिर मानव शरीर भी खनिजों का एक समूह है। लेकिन, कोई नहीं कह सकता कि यह एक खनिज है। इसी तरह, इस तथ्य से कि ईंट-पृथ्वी खनिजों का एक समूह है, कोई भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि ईंट-पृथ्वी एक खनिज है।

(62) अंग्रेजी निर्णयों से कोई सहायता वापस नहीं ली जा सकती है कुछ पदार्थ, हालांकि खनिज नहीं, खनिज माने गए हैं। यह अच्छी तरह से तय है कि ब्रिटिश संसद सर्वोच्च है और यह कृत्रिम रूप से एक पदार्थ खनिज बना सकती है जब यह नहीं है, लेकिन जहां तक भारतीय संसद का संबंध है, यह शुद्ध मामला है। इसकी शक्ति भारत के संविधान द्वारा सीमित है। सातवीं अनुसूची, सूची। और सूची ॥ में प्रासंगिक प्रविष्टियां क्रमशः 54 (खानों और खनिज विकास का विनियमन जिस हद तक संघ के नियंत्रण में ऐसे विनियमन और विकास को संसद द्वारा कानून द्वारा लोक हित में समीचीन घोषित किया जाता है) और 23 (संघ के नियंत्रण में विनियमन और विकास के संबंध में सूची। के प्रावधान के अधीन खानों और खनिज विकास का विनियमन) हैं। इसलिए, संसद केवल खानों के विनियमन और खनिज विकास के संबंध में कानून पारित कर सकती है। इसी तरह, राज्य विधानमंडल, सूची। में प्रविष्टि 54 के अधीन, खानों के विनियमन और खनिज विकास के संबंध में कानून बना सकता है। एक खनिज होना चाहिए जिसके बारे में दो प्रविष्टियों में से किसी एक के तहत कानून बनाया जा सकता है।

(63) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 का उद्देश्य खनिजों के दोहन को विनियमित करना है। जब ईंटें बनाई जाती हैं, तो किसी खनिज का दोहन नहीं किया जाता है। परिणामी प्रो-कंडक्ट एक ईंट है और यह एक खनिज भी नहीं है। यह सर्वविदित है कि ईंटें शीर्ष मिट्टी से बनाई जाती हैं, i.e., कृषि मिट्टी जहां फसलें उगाई जाती हैं। इस मिट्टी को अधिकतम चार या पांच फीट की गहराई तक खोदा जाता है और इससे ईंटें बनाई जाती हैं। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के खनिजों की मामूली मात्रा होती है, लेकिन मिट्टी से कोई खनिज नहीं निकाला जाता है। मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल लगता है कि ईंट-पृथ्वी एक खनिज है क्योंकि कुछ निश्चित मामलों में यह विचार लिया गया है कि ईंट-पृथ्वी एक खनिज है।

(64) इन कारणों से, मैं अपने विद्वान भाई द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के साथ खुद को मिलाने में सक्षम नहीं हूं कि ईंट-मिट्टी एक खनिज है।

(65) मैं अपने विद्वान भाई से सहमत होने के लिए भी तैयार नहीं हूं कि क्या वर्तमान मामलों में ईंट-मिट्टी सरकार में निहित है, इस सवाल को खुला छोड़ दिया जाना चाहिए। अंतिम उपाय के रूप में, विद्वान महाधिवक्ता श्री जगन नाथ कौसल ने हमारे सामने यह तर्क रखा कि वाजिब-उल-अर्ज में प्रविष्टियां खंडन योग्य हैं और इसलिए, उन्हें उनका खंडन करने का अवसर मिलना चाहिए। हमने विद्वान वकील से हमें यह बताने के लिए कहा कि किन सबूतों के साथ प्रविष्टियों का खंडन किया जा सकता है और विद्वान महाधिवक्ता इस मामले पर कोई संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ थे। उन्हें यह भी प्रस्ताव दिया गया था कि हम वाजिब-उल-अर्ज की प्रविष्टि का खंडन करने के उद्देश्य से उनके द्वारा बताए गए किसी भी सबूत की जांच करने के लिए तैयार रहेंगे। यह सर्वविदित है कि वाजिब-उल-आर्ज़ समझौते के समय और उचित जांच के बाद बनाए जाते हैं, और उनसे शुद्धता की धारणा जुड़ी होती है।

(66) इस स्तर पर याचिकाकर्ता और राज्य द्वारा लिए गए रुख की जांच करना उचित होगा। याचिकाकर्ता का मामला और राज्य द्वारा उसका जवाब याचिका और लिखित बयान दोनों के पैराग्राफ 10 (ओ) और (पी) में पाया जाना है। वही नीचे दिए गए हैंः -

एवरमेंट

10. कि प्रत्यर्थी सं. द्वारा वसूली का आदेश। 2 निम्नलिखित आधारों पर अधिकारिता के बिना अवैध हैः-(ओ) यह कानून की अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि जिन मामलों में 18 नवंबर, 1871 के बाद शरीयत वजीब-उल-आर्ज़ पूरा हो गया था, और उक्त शरीयत वजीब-उल-आर्ज़ में यह विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था कि ईंट-मिट्टी सरकार के छोटे खनिजों में से एक थी, यह भूमि-मालिकों का माना जाएगा, और ऐसे मामलों में जब भी प्रश्न उठाया जाता है, तो सरकार द्वारा एक उपयुक्त अदालत में यह स्थापित किया जाना होगा कि लघु खनिजों (ईंट-मिट्टी) में

संपत्ति वास्तव में सरकार में निहित है और इस मामले में शरीयत वजीब-उल-आर्ज़ में ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है कि संपत्ति सरकार में निहित होगी।

(पी) नियमों के नियम 20 और 21 और 37 अधिनियम की धारा 15 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।

जवाब दीजिए।

10. रिट याचिका के इस पैरा की सामग्री को गलत बताते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। पंजाब लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के नियम 53 के अनुसार रॉयल्टी के बकाया की वसूली के लिए उचित प्रक्रिया अपनाई गई है। उप-पैराओं का उत्तर इस प्रकार दिया गया हैः- (ओ) आधार (ओ) के उत्तर में यह प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य द्वारा अपने पैरा नं. 3 को दोहराया जाता है। वाजिब-उल-आर्ज़ के शब्द इतने व्यापक हैं कि राज्य सरकार में भविष्य में पाए जाने वाले सभी खनिजों और खनिजों को शामिल किया जा सकता है। इस उप-पैरा में किया गया कथन गलत है और इससे इनकार किया गया है। याचिकाकर्ता ने विचाराधीन लघु खनिज पर अपने अधिकारों को स्थापित नहीं किया है।

याचिका का आधार (पी) अस्वीकार कर दिया जाता है। इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट नं. 1966 का 2198।

(67)अभिवचनों से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके द्वारा राज्य वाजिब-उल-अर्ज में प्रविष्टि का खंडन करने का प्रस्ताव करता हो। वास्तव में, राज्य ने वाजिब-उल-अर्ज की व्याख्या पर अपना रुख अपनाया है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि विचाराधीन भूमि निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में है और ईंटों के निर्माता इस उद्देश्य के लिए मिट्टी निकालने के लिए उन भूमि को उनसे पट्टे पर लेते हैं और पृथ्वी समाप्त होने के बाद भूमि मालिकों को वापस कर दी जाती है। इसलिए, अंतिम विश्लेषण में, पूरा मामला वाजिब-उल-अर्ज की व्याख्या पर निर्भर करता है। इन सभी मामलों में वाजिब-उल-आर्ज़ समान शब्दों में हैं और संदर्भ केवल "एक्स" को मौज़ा छापरा के वाजिब-उल-आर्ज़ के लिए बनाया जाना चाहिए, हद बास्ट नं। 112, 1917-18 के निपटान में तैयारः - पैरा की सामग्री

हमारे गाँव में कोई जंगल, लावारिस या बंजर या बिना कब्जे वाली भूमि नहीं है, जिस पर सरकार का अधिकार हो सकता है। लेकिन पूरी नाज़ुल संपत्ति या पत्थर की खदानें, चूना पत्थर के कंकड़, हर तरह के काले पत्थर, जो मिट्टी के ऊपर या नीचे पाए जा सकते हैं, साथ ही खंडहर, पुरानी इमारतों की भूमि पर स्वतः वृद्धि और भूमि से संबंधित अन्य कृषि अधिकार सरकार के स्वामित्व में हैं। मूल्यांकन के समय इस समझौते में उन्हें कोई सम्मान नहीं दिया गया था, अपवाद के साथ। सरकार को उपरोक्त वस्तुओं की खुदाई या भंडारण या परिवहन के प्रयोजनों के लिए हमारी भूमि का उपयोग करने का अधिकार मिला है। लेकिन अगर ऐसा करने से हमारी खेती में कुछ नुकसान होता है, तो सरकार हमें हुए नुकसान या क्षति की सीमा तक मुआवजा देगी।

(68) वाजिब-उल-अर्ज के सादे पाठ से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य में केवल नज़ुल भूमि निहित है, या पत्थर, चूना पत्थर, कंकड़ और हर प्रकार के काले पत्थर की खदानें जो सरकार में मिट्टी के ऊपर या नीचे पाई जा सकती हैं। विचाराधीन भूमि नज़ुल भूमि नहीं है। सरकार में निहित निजी मालिकों की ईंट की मिट्टी या मिट्टी का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि ईंट की मिट्टी राज्य में निहित नहीं है।

(69) भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 41 के संबंध में भी संदर्भ दिया जा सकता है जो इन शर्तों में हैः-"41. धातु और कोयले की सभी खानों और सभी मिट्टी के तेल और सोने की धुलाई को राज्य के प्रयोजनों के लिए सरकार की संपत्ति माना जाएगा और राज्य सरकार के पास सरकार के अधिकार के उचित आनंद के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(70) मेरी राय में, वाजिब-उल-अर्ज इस बात में कोई संदेह नहीं छोड़ता है कि वर्तमान मामलों में ईंट की मिट्टी राज्य में निहित नहीं है और इसलिए, राज्य को उस पर रॉयल्टी लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह आम बात है कि रॉयल्टी केवल उन खनिजों पर लगाई जा सकती है जो राज्य में निहित हैं।

(71) उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, मैं अपने विद्वान भाई के अंतिम निष्कर्ष से सहमत हूं कि इन याचिकाओं को लागत के रूप में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जानी चाहिए।

पी. सी. पंडित, जे.-(72) मैं संधवालिया, जे. से सहमत हूं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आकांक्षा सैनी

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

सोनीपत(हरियाणा)